
अध्याय-2

राज्य का वित्त

अध्याय 2

राज्य का वित्त

यह अध्याय राज्य के वित्त का एक व्यापक परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है और पिछले वर्ष की तुलना में प्रमुख राजकोषीय समुच्चयों में महत्वपूर्ण परिवर्तनों का विश्लेषण करता है। यह 2017-18 से 2021-22 तक पाँच वर्ष की अवधि के दौरान समग्र रूझानों, राज्य की ऋण स्थिरता और मुख्य लोक लेखा लेन-देनों राज्य के वित्त लेखों के आधार पर चर्चा करता है। जहाँ आवश्यकता थी, राज्य सरकार से भी जानकारी प्राप्त की गई।

2.1 वर्ष 2020-21 के सापेक्ष राजकोषीय समुच्चयों में प्रमुख परिवर्तन

तालिका 2.1 विगत वर्ष की तुलना में, वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान राज्य के प्रमुख राजकोषीय समुच्चयों में मुख्य परिवर्तनों का विहंगम दृश्य प्रस्तुत करती है। इन प्रत्येक संकेतकों को उत्तरोत्तर कंडिकाओं में विश्लेषित किया गया है।

तालिका 2.1: 2020-21 की तुलना में 2021-22 में राजकोषीय समुच्चयों में परिवर्तन

राजस्व प्राप्तियाँ	<ul style="list-style-type: none">✓ राज्य की राजस्व प्राप्तियों में 24.17 प्रतिशत की वृद्धि हुई✓ राज्य की स्वयं के कर प्राप्तियों में 26.12 प्रतिशत की वृद्धि हुई✓ स्वयं के गैर-कर प्राप्तियों में 32.61 प्रतिशत की वृद्धि हुई✓ संघीय करों एवं शुल्कों के राज्यांश में 40.70 प्रतिशत की वृद्धि हुई✓ भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान में 11.06 प्रतिशत की कमी हुई
राजस्व व्यय	<ul style="list-style-type: none">✓ राजस्व व्यय में 5.93 प्रतिशत की वृद्धि हुई✓ सामान्य सेवाओं पर राजस्व व्यय में 8.30 प्रतिशत की वृद्धि हुई✓ सामाजिक सेवाओं पर राजस्व व्यय में 5.54 प्रतिशत की वृद्धि हुई✓ आर्थिक सेवाओं पर राजस्व व्यय में 3.55 प्रतिशत की वृद्धि हुई
पूँजीगत व्यय	<ul style="list-style-type: none">✓ पूँजीगत व्यय में 10.76 प्रतिशत की वृद्धि हुई✓ सामान्य सेवाओं पर पूँजीगत व्यय में 4.76 प्रतिशत की कमी हुई✓ सामाजिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय में 6.99 प्रतिशत की वृद्धि हुई✓ आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय में 13.61 प्रतिशत की वृद्धि हुई
ऋण एवं अग्रिम	<ul style="list-style-type: none">✓ ऋण एवं अग्रिम के संवितरण में ₹ 1,917.02 करोड़ की कमी हुई✓ ऋण एवं अग्रिम की वसूली में ₹ 1,242.95 करोड़ की वृद्धि हुई
लोक ऋण	<ul style="list-style-type: none">✓ लोक ऋण प्राप्तियों में 27.36 प्रतिशत की कमी हुई✓ लोक ऋण के पुर्नभुगतान में 54.73 प्रतिशत की वृद्धि हुई
लोक लेखा	<ul style="list-style-type: none">✓ लोक लेखा प्राप्तियों में 13.57 प्रतिशत की कमी हुई✓ लोक लेखा के संवितरण में 6.77 प्रतिशत की वृद्धि हुई
नकद शेष	<ul style="list-style-type: none">✓ पूर्व वर्ष की तुलना में वर्ष 2021-22 के दौरान नकद शेष में ₹ 1,852.38 करोड़ (49.79 प्रतिशत) की वृद्धि हुई

2.2 निधियों के स्रोत एवं अनुप्रयोग


तालिका 2.2 2020-21 से 2021-22 के दौरान राज्य के निधियों के स्रोतों एवं अनुप्रयोग की तुलना करता है। अधिक विवरण परिशिष्ट 2.1 में दिये गये हैं।

तालिका 2.2: 2020-21 एवं 2021-22 के दौरान निधियों के स्रोत एवं अनुप्रयोग का विवरण
(₹ करोड़ में)

	ब्यौरा	2020-21	2021-22	वृद्धि (+)/कमी (-)
स्रोत	भारतीय रिजर्व बैंक में प्रारंभिक नकद शेष	-54.14	160.55	214.69
	राजस्व प्राप्तियाँ	56,149.75	69,721.86	13,572.11
	ऋण एवं अग्रिम की वसूली	48.78	1,291.73	1,242.95
	लोक ऋण प्राप्तियाँ (निवल)	10,801.75	5,592.79	-5,208.96
	लोक लेखा प्राप्तियाँ (निवल)	4,323.44	-2,999.76	-7,323.20
	कुल	71,269.58	73,767.17	2,497.59
अनुप्रयोग	राजस्व व्यय	59,263.59	62,777.92	3,514.33
	पूँजीगत व्यय	8,465.66	9,376.90	911.24
	ऋण एवं अग्रिमों का संवितरण	3,379.78	1,462.98	-1,916.80
	भारतीय रिजर्व बैंक में अंतिम नकद शेष	160.55	149.37	-11.18
	कुल	71,269.58	73,767.17	2,497.59

चार्ट 2.1 वर्ष 2021-22 के दौरान समेकित निधि में प्राप्तियाँ एवं व्यय की प्रतिशतता का विवरण प्रस्तुत करता है।

चार्ट 2.1: 2021-22 के दौरान निधियों के स्रोत एवं अनुप्रयोग का विवरण



2.3 राज्य के संसाधन

यह कंडिका सम्पूर्ण प्राप्तियों के घटक को दर्शाता है। पूँजीगत एवं राजस्व प्राप्तियों के अलावे, लोक लेखा (संवितरण के बाद निवल) से उपलब्ध निधियों का भी सरकार द्वारा घाटों को पूरा करने हेतु इस्तेमाल किया गया।

राज्य के संसाधनों का विवरण नीचे दिये गये हैं:

1. **राजस्व प्राप्तियों** में कर राजस्व, गैर-कर राजस्व, संधीय करों एवं शुल्कों में राज्य का हिस्सा एवं भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान शामिल हैं।
2. **पूँजीगत प्राप्तियों** में विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ यथा विनिवेश से आय, ऋण एवं अग्रिम से वसूली, आंतरिक स्रोतों (बाजार ऋण, वित्तीय संस्थानों/ वाणिज्यिक बैंको से उधार) से ऋण प्राप्तियाँ और भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम शामिल हैं।

राजस्व एवं पूँजीगत प्राप्तियां दोनों ही राज्य के समेकित निधि का हिस्सा है।


3. **निवल लोक लेखा प्राप्तियाँ** : कुछ विशेष लेन-देन यथा छोटी बचत, भविष्य निधि, आरक्षित निधियाँ, जमा, उचंत, प्रेषण आदि से संबन्धित प्राप्तियाँ एवं भुगतान हैं जो समेकित निधि का हिस्सा नहीं होते हैं।

इन्हें संविधान के अनुच्छेद 266 (2) के तहत स्थापित लोक लेखा में रखा जाता है और राज्य विधानमंडल द्वारा मतदान के अधीन नहीं होता है। यहाँ, सरकार एक बैंकर के रूप में कार्य करती है। संवितरण के बाद शेष राशि उपयोग हेतु सरकार के पास उपलब्ध होती है।

2.3.1 राज्य की प्राप्तियाँ

यह कंडिका सम्पूर्ण प्राप्तियों के घटक को दर्शाता है। पूँजीगत एवं राजस्व प्राप्तियों के अलावे, लोक लेखा (संवितरण के बाद निवल) से उपलब्ध निधियों का भी सरकार द्वारा घाटों को पूरा करने हेतु इस्तेमाल किया गया। 2021-22 के दौरान राज्य की प्राप्तियों के घटक चार्ट 2.2 में दिये गए हैं।

चार्ट 2.2: 2021-22 के दौरान राज्य की प्राप्तियों के घटक



2.3.2 राज्य की राजस्व प्राप्तियाँ

यह कंडिका कुल राजस्व प्राप्तियों और इसके घटकों के रुझान का विश्लेषण करता है। इसके बाद, प्राप्तियों में रुझान को केंद्र सरकार से प्राप्ति और राज्य की अपनी प्राप्तियों में विभाजित किया गया है।

2.3.2.1 राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियाँ एवं वृद्धि

तालिका 2.3 पाँच वर्ष की अवधि में स.रा.घ.उ. के संबंध में राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियों एवं वृद्धि के साथ-साथ राजस्व उत्प्लावकता को दर्शाती है। आगे, स.रा.घ.उ. से संबंधित राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियाँ एवं राजस्व प्राप्तियों के संयोजन परिशिष्ट 2.2 में प्रस्तुत किए गए हैं।

तालिका 2.3: राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियाँ

मापदंड	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
राजस्व प्राप्तियाँ (रा.प्रा.) (₹ करोड़ में)	52,756	56,152	58,417	56,150	69,722
रा.प्रा. की वृद्धि दर (प्रतिशत)	12.12	6.44	4.03	-3.88	24.17
स्वयं का कर राजस्व	12,353	14,752	16,771	16,880	21,290
कर-भिन्न राजस्व	7,847	8,258	8,750	7,564	10,031
स्वयं के राजस्व की वृद्धि दर (स्वयं के कर एवं कर-भिन्न राजस्व) (प्रतिशत)	8.30	13.90	10.90	-4.20	28.13
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में) (2011-12 श्रृंखला)	2,69,816	3,05,695	3,21,157	3,17,079	3,63,085
स.रा.घ.उ. वृद्धि दर (प्रतिशत)	14.21	13.30	5.06	-1.27	14.51
रा.प्रा./ स.रा.घ.उ. (प्रतिशत)	19.55	18.37	18.19	17.71	19.20
उत्प्लावकता अनुपात¹					
स.रा.घ.उ. के सापेक्ष राजस्व उत्प्लावकता	0.85	0.48	0.80	*	1.67
स.रा.घ.उ. के सापेक्ष राज्य के स्वयं के राजस्व की उत्प्लावकता	0.58	1.05	2.15	*	1.94

स.रा.घ.उ. आँकड़ों का स्रोत: आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय


* चूँकि स.रा.घ.उ. की वृद्धि नकारात्मक थी, अतः उत्प्लावकता संगणित नहीं किया गया।

राज्य की राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि दर वर्ष 2017-18 में 12.12 प्रतिशत से लगातार घटकर वर्ष 2020-21 में (-) 3.88 प्रतिशत हो गई, जो 2021-22 के दौरान उल्लेखनीय रूप से बढ़कर 24.17 प्रतिशत हो गई। 2021-22 के दौरान राजस्व प्राप्तियों में उल्लेखनीय वृद्धि राज्य के स्वयं के संसाधनों के साथ-साथ केन्द्रीय कर तथा शुल्क के राज्य के हिस्से में उल्लेखनीय वृद्धि के कारण हुई थी।


तालिका 2.3 से यह देखा जा सकता है कि 2021-22 के दौरान स.रा.घ.उ. के सापेक्ष में राजस्व उत्प्लावकता में राजस्व प्राप्तियों की उच्च वृद्धि के कारण उल्लेखनीय सुधार हुआ। इसी प्रकार, विगत वर्षों की तुलना में वर्तमान वर्ष के दौरान स्वयं कर राजस्व उत्प्लावकता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई।

¹ उत्प्लावकता अनुपात आधार परिवर्तनीयता में हुए परिवर्तन के संबंध में राजकोषीय परिवर्तन की जवाबदेही के लचीलापन या डिग्री को बतलाता है।

चार्ट 2.3: राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियाँ



चार्ट 2.4: राजस्व प्राप्तियों के संयोजकों की प्रवृत्तियाँ



आगे, जैसा कि तालिका 2.3 और चार्ट 2.3 एवं 2.4 में दिखाया गया है, राज्य के अपने राजस्व में पिछले वर्ष के 4.20 प्रतिशत की कमी के मुकाबले 2021-22 के दौरान 28.13 प्रतिशत की तीव्र वृद्धि हुई। स्वयं कर राजस्व में वृद्धि मुख्य रूप से एस.जी.एस.टी. के ₹ 1,626.84 करोड़, बिक्री और व्यापार कर पर ₹ 912.51 करोड़ और भू-राजस्व पर ₹ 748.28 करोड़ के अधिक संग्रह के कारण थी। गैर-कर राजस्व में वृद्धि मुख्य रूप से अलौह खनन में ₹ 2,522.56 करोड़, वानिकी और वन्य जीवन में ₹ 327.59 करोड़ और विविध सामान्य सेवाएँ में ₹ 311.57 करोड़ की वृद्धि के कारण हुई।

भारत सरकार से प्राप्त राजस्व (सी.टी.टी. और सहायता अनुदान) में पिछले वर्ष की तुलना में 2021-22 के दौरान 21.12 प्रतिशत की वृद्धि हुई। सी.जी.एस.टी. सहित प्रत्येक श्रेणी के केंद्रीय करों के हस्तांतरण (सी.टी.टी.) में भारी वृद्धि के कारण चालू वर्ष के दौरान केन्द्रीय करों के हस्तांतरण में ₹ 8,022.42 करोड़ की

उल्लेखनीय वृद्धि हुई। हालाँकि, वर्ष के दौरान भारत सरकार से सहायता अनुदान में कमी (₹ 1,326.56 करोड़ से) देखी गई।


राज्य के स्वयं के संसाधन

केन्द्रीय करों में राज्य का हिस्सा वित्त आयोग के अनुशंसा द्वारा निर्धारित की जाती है। केन्द्र सरकार से सहायता अनुदान का निर्धारण केन्द्रीय कर प्राप्तियों के संग्रहण एवं योजनाओं हेतु पूर्व अनुमानित केन्द्रीय सहायता की मात्रा से किया जाता है। अतिरिक्त संसाधनों को जुटाने में राज्य के प्रदर्शन का आकलन उसके स्वयं कर एवं कर-भिन्न स्रोतों से स्वयं के राजस्व के संदर्भ में किया गया है।

अ. स्वयं-कर राजस्व

राज्य के स्वयं कर राजस्व में राज्य जी.एस.टी., राज्य उत्पाद, वाहनों पर कर, पेट्रोलियम एवं शराब पर बिक्री कर, मुद्रांक एवं निबंधन शुल्क, भू-राजस्व, माल एवं यात्रियों पर कर आदि शामिल हैं। **चार्ट 2.5** वर्ष 2017-18 से 2021-22 अवधि के दौरान राज्य के कर राजस्व की वृद्धि को दर्शाता है।

चार्ट 2.5: वर्ष 2017-18 से 2021-22 के दौरान कर राजस्व में वृद्धि



तालिका 2.4: राज्य के स्वयं के कर राजस्व के घटक

वर्ष	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	स्पार्कलाइन
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	5,715	3,475	3,996	4,301	5,213	
एस.जी.एस.टी.	4,124	8,201	8,418	7,931	9,557	
राज्य उत्पाद	841	1,083	2,009	1,821	1,807	
वाहनों पर कर	779	864	1,129	976	1,263	
मुद्रांक एवं निबंधन शुल्क	469	451	560	708	987	
भू राजस्व	156	389	338	873	1,621	
अन्य	270	289	321	270	842	
कुल	12,354	14,752	16,771	16,880	21,290	

स्रोत: वित्त लेखे

2017-18 से 2021-22 के दौरान स्वयं-कर राजस्व के वृद्धि दर ने (-) 7 से 26 प्रतिशत के बीच व्यापक उतार-चढ़ाव दर्शाया। स्वयं-कर उल्लेखनीय रूप से 2020-21 में एक प्रतिशत से बढ़कर 2021-22 में 26 प्रतिशत हो गया, जिसका मुख्य कारण बिक्री, व्यापार आदि पर कर (21 प्रतिशत), एस.जी.एस.टी (21 प्रतिशत), वाहनों पर कर (29 प्रतिशत) और भू-राजस्व (86 प्रतिशत) में उल्लेखनीय वृद्धि थी।

जैसा कि परिवहन विभाग द्वारा सूचित किया गया, मोटर वाहन करों के संग्रह में वृद्धि राज्य सरकार द्वारा वाहनों के पंजीकरण के लिए नई शुल्क संरचना की शुरुआत करने के कारण हुई। 2021-22 के दौरान सेन्ट्रल कोलफिल्ड लिमिटेड से ₹ 500 करोड़ रुपये की बकाया राशि प्राप्त होने के कारण भू-राजस्व में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। राज्य का स्वयं कर के अन्य घटक के संग्रह की वृद्धि के कारण संबंधित विभागों से प्राप्त नहीं हुए।

राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एस.जी.एस.टी.)

जी.एस.टी. (राज्यों को मुआवजा) अधिनियम, 2017 के अनुसार, वस्तु एवं सेवा कर लागू किए जाने के कारण राजस्व में कमी को राज्यों को आधार वर्ष (2015-16) से 14 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि मानते हुए आगामी पाँच वर्ष (मार्च 2022 तक) की अवधि तक मुआवजा दिया जाना था। केन्द्र वस्तुओं और सेवाओं के अंतर्राज्यीय आपूर्ति पर एकीकृत जी.एस.टी. (आई.जी.एस.टी) वसूलती है तथा उस राज्य को कर का राज्यांश प्रदान करती है, जिस राज्य में वस्तुओं या सेवाओं की खपत होती है।

राज्य के देय मुआवजे की गणना, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा किए गए लेखापरीक्षा के बाद, अंतिम राजस्व आँकड़ों की प्राप्ति के पश्चात प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए की जाती है। वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत अधिरोपित कर के राजस्व आँकड़े हेतु आधार वर्ष (2015-16) को वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम के तहत अंतिम रूप दिया गया। झारखण्ड के मामले में, आधार वर्ष (2015-16) के दौरान राजस्व ₹ 6,410.51 करोड़ था। एक राज्य में किसी भी वर्ष के लिए अनुमानित राजस्व की गणना, उस राज्य के आधार वर्ष के राजस्व पर अनुमानित विकास दर (प्रतिवर्ष 14 प्रतिशत) के आधार पर की जाती है।

आधार वर्ष के अनुसार वर्ष 2021-22 के लिए अनुमानित राजस्व ₹ 14,070.89 करोड़ था। 2021-22 के दौरान जी.एस.टी. में शामिल करों से राज्य सरकार की राजस्व प्राप्ति ₹ 9,557.40 करोड़ थी। वर्ष 2021-22 के लिए राज्य के राजस्व संग्रह को सुरक्षित रखने के लिए भारत सरकार ने कोई मुआवजा प्रदान नहीं किया। हालांकि, अप्रैल 2020 से मार्च 2021 की अवधि से संबंधित ₹ 1,525.63 करोड़ की राशि का मुआवजा 2021-22 के दौरान प्रदान किया था।

आई.जी.एस.टी. के अग्रिम विभाजन का भविष्य में आई.जी.एस.टी. भुगतान से समायोजन

भारत सरकार को आई.जी.एस.टी. अधिनियम, 2017 की धारा 17 के अंतर्गत आई.जी.एस.टी. को राज्य सरकारों में विभाजित करना है। राज्य कर प्रभाग, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग (भारत सरकार) ने ₹ 557.12 करोड़ की राशि की अनंतिम/अग्रिम की स्वीकृति इस शर्त पर दी गयी कि इस राशि का समायोजन आई.जी.एस.टी. का भविष्य में भुगतान से कर ली जाएगी। 2021-22 के दौरान आई.जी.एस.टी. का अग्रिम विभाजन में पिछले वर्ष के मुकाबले (₹ 608.26 करोड़) 8.41 प्रतिशत की कमी हुई।

जी.एस.टी. प्राप्तियों की लेखापरीक्षा

जी.एस.टी.एन. परिधि पर सम्पूर्ण भारत के आंकड़ों तक पहुँच प्रदान करने हेतु भारत सरकार का निर्णय 22 जून 2020 को संप्रेषित की गई। आँकड़ों तक अपेक्षित पहुँच जनवरी 2021 में प्रदान की गई।

बकाया राजस्व एवं बकाया मूल्यांकन का विश्लेषण

बकाया राजस्व सरकार के राजस्व के विलंब से प्राप्ति को इंगित करता है। उसी प्रकार, बकाया मूल्यांकन संभावित राजस्व को दर्शाता है जो विलंब से मूल्यांकन के कारण अवरूद्ध होती है। दोनों संभावित राजस्व प्राप्तियों से राज्य को वंचित रखते हैं और अंततः राजस्व घाटे को प्रभावित करते हैं।

31 मार्च 2022 को, राजस्व संग्रहण में बकाया ₹ 8,071.97 करोड़ (वाणिज्यिक कर विभाग तथा मोटर वाहन कर विभाग) था जिनमें से ₹ 2,007.25 करोड़ पाँच साल से अधिक समय से बकाया था। इन विभागों में कुल बकाया राशि में से ₹ 3,183.76 करोड़ की राशि न्यायालयों एवं अन्य अपीलीय प्राधिकरणों में अवरूद्ध थी। अन्य विभागों के ब्यौरे दिसम्बर 2022 तक उपलब्ध नहीं थे।

ब. कर-भिन्न राजस्व

कर-भिन्न राजस्व (क.भि.रा.) में ब्याज प्राप्तियाँ, लाभांश एवं लाभ, खनन प्राप्तियाँ, विभागीय प्राप्तियाँ इत्यादि शामिल होती हैं।

वर्ष 2021-22 के दौरान ₹ 10,031 करोड़ का कर-भिन्न राजस्व संग्रहित हुआ। कर-भिन्न राजस्व का संग्रहण वर्ष हेतु ₹ 13,500 करोड़ के बजट आकलन से उल्लेखनीय रूप से कम था। वर्ष 2017-18 से 2021-22 के दौरान संग्रहित कर-भिन्न राजस्व का घटकवार विवरण तालिका 2.5 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.5: वर्ष 2017-18 से 2021-22 के दौरान संग्रहित कर-भिन्न राजस्व

(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	स्पार्कलाइन
ब्याज प्राप्तियां	169	47	310	81	96	
लाभांश एवं लाभ	0	0	0	15	0	
अन्य कर भिन्न प्राप्तियां	7,678	8,211	8,440	7,468	9,935	
(क) अलौह खनन तथा धातु कर्म	5,941	5,935	5,461	5,012	7,535	
(ख) शिक्षा	20	590	469	166	128	
(ग) शहरी विकास	122	265	529	80	263	
(घ) वृहत् सिंचाई	131	321	424	32	79	
(³) जन आपूर्ति	5	6	420	137	132	
(च) अन्य	1,459	1,094	1,137	2,041	1,798	
कुल	7,847	8,258	8,750	7,564	10,031	

वर्ष 2017-18 से 2021-22 की अवधि के दौरान राजस्व प्राप्तियों में कर-भिन्न राजस्व का हिस्सा 13.47 प्रतिशत और 14.98 प्रतिशत के बीच था। यह 2020-21 में 13.47 प्रतिशत से बढ़कर 2021-22 में 14.39 प्रतिशत हो गयी। कर भिन्न राजस्व का मुख्य स्रोत अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग से प्राप्तियाँ थीं, जो 2020-21 में ₹ 5,012 करोड़ से उल्लेखनीय रूप से बढ़कर 2021-22 में ₹ 7,535 करोड़ हो गई। 2021-22 के दौरान वानिकी और वन्यजीव (₹ 328 करोड़ से), शहरी विकास (₹ 183 करोड़ से) और विविध सामान्य सेवा (₹ 312 करोड़ से) के संग्रहण में उल्लेखनीय वृद्धि देखा गया।

लघु शीर्ष-913 के अंतर्गत अनियमित जमा


वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान लेखांकन नियमों के विरुद्ध लेखा के व्यय शीर्ष के तहत व्यय में कमी के रूप में दर्शाने के बजाय राज्य सरकार द्वारा पिछले वर्षों से संबंधित सहायता अनुदान एवं अप्रयुक्त योजना निधियों के अव्ययित शेष ₹ 467.05 करोड़ को लेखों में प्राप्ति शीर्ष के लघु शीर्ष 913 - 'सहायता अनुदान के अव्ययित शेष राशि की वसूली' के अंतर्गत जमा किया गया। राज्य सरकार द्वारा अनुरक्षित डिजिटल डेटा में विवरण की अनुपलब्धता के कारण अव्ययित शेष को केंद्र प्रायोजित योजनाओं और राज्य योजनाओं के बीच विभाजित नहीं किया जा सका। जमा की गई राशि जो वास्तविक राजस्व नहीं था को राजस्व प्राप्तियों में शामिल करने के परिणामस्वरूप उस सीमा तक राजस्व प्राप्तियों को अधिक एवं राजस्व व्यय को कम दिखाया गया।

स. केन्द्र सरकार से अंतरण

केंद्रीय कर अंतरण और सहायता अनुदान के रूप में राज्य को केन्द्र सरकार द्वारा अंतरण, वर्ष 2013-14 को छोड़कर जब यह इस लक्ष्य से ठीक नीचे था, वर्ष 2012-13 से 2021-22 के दौरान राज्य की कुल गैर-ऋण राजस्व के 50 प्रतिशत से अधिक था। गैर-ऋण प्राप्तियों से केंद्रीय हस्तांतरण का अनुपात 2017-18

(62 प्रतिशत) के दौरान सबसे अधिक था, क्योंकि स्वयं के राजस्व का कम संग्रह और जीएसटी के कार्यान्वयन से होने वाली राजस्व हानि के लिए मुआवजे की कम प्राप्ति हुई थी। 2021-22 के दौरान यह अनुपात 54 प्रतिशत था।

चार्ट 2.6: केन्द्र से राज्य को अंतरण



राज्य को केन्द्र द्वारा करों का अंतरण वर्ष 2012-13 के ₹ 8,188 करोड़ से निरंतर रूप से बढ़कर वर्ष 2021-22 में ₹ 27,735 करोड़ हो गया, वर्ष 2019-20 और 2020-21 को छोड़कर, जब यह घटकर क्रमशः ₹ 20,593 करोड़ और ₹ 19,712 करोड़ हो गया था।

केन्द्रीय कर अंतरण

तालिका 2.6 में पिछले पाँच वर्षों का केन्द्रीय कर अंतरण (सी.टी.टी.) का घटकार प्रवृत्ति दर्शाया गया है।

तालिका 2.6: केन्द्रीय कर अंतरण

(₹ करोड़ में)

शीर्ष	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सी.जी.एस.टी.)	299	5,900	5,844	5,863	8,367
एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (आई.जी.एस.टी.)	2,134	471	0	0	0
निगम कर	6,475	8,313	7,021	5,944	7,139
निगम कर के अलावा आय पर कर	5,467	6,122	5,502	6,093	8,693
सीमा शुल्क	2,134	1,695	1,305	1,050	2,060
संघ उत्पाद शुल्क	2,230	1,126	908	663	1,089
सेवा कर	2,404	220	0	85	356
अन्य कर ²	0	59	13	14	31
केन्द्रीय कर अंतरण	21,144	23,906	20,593	19,712	27,735
विगत वर्ष से वृद्धि की प्रतिशतता	10	13	-14	-4	41
राजस्व प्राप्ति के सापेक्ष केन्द्रीय कर अंतरण का प्रतिशतता	40	43	35	35	40

² संपत्ति पर कर, आय और व्यय पर अन्य कर, वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर व शुल्क शामिल हैं।

पिछले वर्ष की तुलना में 2021-22 में सी.टी.टी. में ₹ 8,023 करोड़ की वृद्धि हुई जो सभी करों के अंतरण में वृद्धि के कारण थी, जैसा कि उपरोक्त तालिका में दर्शाया गया है। परिणामस्वरूप पिछले वर्ष की तुलना में सी.टी.टी. के सापेक्ष राजस्व प्राप्ति में पाँच प्रतिशत की वृद्धि हुई।

भारत सरकार से सहायता अनुदान

वर्ष 2017-18 से 2021-22 अवधि के दौरान भारत सरकार से सहायता अनुदान की वृद्धि दर (-) 19.07 प्रतिशत और 33.21 प्रतिशत के बीच वृहत रूप से दोलित रहा। भारत सरकार से सहायता अनुदान की वृद्धि दर वर्ष 2019-20 (33.21 प्रतिशत) के दौरान उच्चतम थी, जो पिछले वर्ष की तुलना में 2020-21 में (-) 2.51 प्रतिशत से और 2021-22 में (-) 11.06 प्रतिशत से घट गई।

इसके अलावा, 2020-21 के दौरान सहायता अनुदान राजस्व प्राप्ति का 21.36 प्रतिशत से घटकर 2021-22 में 15.30 प्रतिशत हो गया। यह मुख्य रूप से राज्य के ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों के लिए कम आधारभूत अनुदान (₹ 1,134 करोड़ से) प्राप्त होने के कारण थी। जी.एस.टी.³ लागू होने से होने वाले राजस्व नुकसान की भरपाई में भी ₹ 433 करोड़ की कमी हुई।

तालिका 2.7: भारत सरकार से सहायता अनुदान

(₹ करोड़ में)

शीर्ष	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
केन्द्र प्रायोजित योजनाओं हेतु अनुदान (सी.एस.एस.)	7,985.24	6,996.85	7,339.05	6,838.85	6,577.16
वित्त आयोग अनुदान	1,583.03	1,059.89	3,154.60	2,990.50	2,198.30
राज्यों/विधानमण्डल वाले केन्द्र शासित प्रदेशों को अन्य अंतरण/अनुदान	1,844.02	1,178.78	1,809.01	2,164.06	1,891.40
कुल	11,412.29	9,235.52	12,302.66	11,993.41	10,666.86
पिछले वर्ष से वृद्धि की प्रतिशतता	23.23	-19.07	33.21	-2.51	-11.06
राजस्व प्राप्तियों से जी.आई.ए. की प्रतिशतता	21.63	16.45	21.06	21.36	15.30

स्रोत: वित्त लेखे

2017-18 से 2021-22 के दौरान भारत सरकार द्वारा प्रदत्त राज्य को सहायता अनुदान ₹ 9,235.52 करोड़ से ₹ 12,302.66 करोड़ के बीच दोलित रहा और इस अवधि के दौरान राजस्व प्राप्तियों में इसका प्रतिशत 15.30 प्रतिशत से 21.63 प्रतिशत के बीच रहा। सहायता अनुदान की वृद्धि 2020-21 में (-) 2.51 प्रतिशत से घटकर 2021-22 में (-) 11.06 प्रतिशत हो गई।

³ 2021-22 के दौरान प्राप्त ₹ 1,525.63 करोड़ वर्ष 2020-21 की भरपाई थी।

पंद्रहवें वित्त आयोग (एफ.एफ.सी.) अनुदान

एफ.एफ.सी की सिफारिश पर, आधारभूत और सामान्य निष्पादन अनुदान के रूप में शहरी स्थानीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थानों हेतु राज्य सरकार को केन्द्र सरकार द्वारा प्रदान किए गए अनुदानों का विवरण तालिका 2.8 में दिया गया है।

तालिका 2.8: अनुशंसित राशि, वास्तविक निर्गमन और सहायता अनुदान का अंतरण

(₹ करोड़ में)

अंतरण	15 ^{वें} एफ. सी. की अनुशंसा	भारत सरकार द्वारा निर्गमन			राज्य सरकार द्वारा निर्गमन (केन्द्रीय निर्गमन सहित)		
	2020-25	2020-21	2021-22	कुल	2020-21	2021-22	कुल
स्थानीय निकाय							
(i) पी.आर.आई. को अनुदान	6,585.00	1,689.00	699.30	2,388.30	1,771.19	772.76	2,543.95
(अ) सामान्य आधारभूत अनुदान	ज्ञात नहीं	1,689.00	699.30	2,388.30	1,771.19	772.76	2,543.95
(ब) सामान्य निष्पादन अनुदान	ज्ञात नहीं	0.00	0.00	0.00			
(ii) यू.एल.बी. को अनुदान	3,367.00	733.50	600.20	1,333.70	1,930.03	1,042.33	2,972.36
(अ) सामान्य आधारभूत अनुदान	ज्ञात नहीं	530.25	0.00	530.25	1,930.03	1,042.33	2,972.36
(ब) सामान्य निष्पादन अनुदान	ज्ञात नहीं	203.25	600.20	803.45			
स्थानीय निकायों के लिए कुल	9,952.00	2,422.50	1,299.50	3,722.00	3,701.22	1,815.09	5,516.31
राज्य आपदा मोचन कोष*	0.00	568.00	454.40	1,022.40	757.00	605.60	1,362.60
कुल योग	9,952.00	2,990.50	1,753.90	4,744.40	4,458.22	2,420.69	6,878.91

* कुल अनुदान का 25 प्रतिशत राज्यांश सहित

स्रोत: पंद्रहवें वित्त आयोग प्रतिवेदन तथा वित्त लेखे

राज्य के शहरी स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थानों के लिए वर्ष 2020-25 की अवधि के लिए ₹ 9,953 करोड़ के 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के विरुद्ध 2020-21 और 2021-22 के दौरान केंद्र सरकार द्वारा ₹ 3,722 करोड़ जारी किये गए। आगे, वर्ष 2021-22 के दौरान राज्य द्वारा यू.एल.बी, पी.आर.आई. और एस.डी.आर.एफ. को जारी कुल ₹ 2,420.69 करोड़ में से ₹ 1,753.90 करोड़ केन्द्र सरकार से प्राप्त हुए थे।

2.3.3 पूँजीगत प्राप्तियाँ

पूँजीगत प्राप्तियों में विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ यथा विनिवेश से आय, ऋण एवं अग्रिम से वसूली, आंतरिक स्रोत से ऋण प्राप्तियाँ (बाजार ऋण, वित्तीय संस्थानों/वाणिज्यिक बैंको से उधार) और भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम शामिल हैं। वर्ष 2017-22 के दौरान पूँजीगत प्राप्तियों का विवरण तालिका 2.9 में दिया गया है।

तालिका 2.9: पूँजीगत प्राप्तियों की संरचना एवं वृद्धि की प्रवृत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

राज्य की प्राप्तियों के स्रोत	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
पूँजीगत प्राप्तियाँ	8,203.85	7,850.43	9,642.31	13,595.36	11,131.62
विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	25.09	0.00	0.00	0.00	0.00
ऋण एवं अग्रिम की वसूली	42.41	47.57	49.19	48.78	1,291.73
निवल लोक ऋण प्राप्तियाँ	5,187.81	4,743.34	5,361.72	10,801.76	5,592.79
आंतरिक ऋण	5,117.24	4,637.10	5,109.14	8,411.43	2,581.42
वृद्धि दर (प्रतिशत में)	3.86	(-9.37)	10.17	64.63	-69.31
भारत सरकार से ऋण व अग्रिम	70.57	106.22	252.44	2,390.33*	3,011.37*
वृद्धि दर (प्रतिशत में)	(-7.76)	50.52	137.66	846.89	25.98
ऋण पूँजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	14.90	(-4.10)	22.93	41.21	27.36
गैर-ऋण पूँजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	76.32	(-29.85)	4.66	(-0.83)	2,548.07
स.रा.घ.उ. की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	14.21	13.30	5.06	(-1.27)	14.51
पूँजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	15.23	(-4.31)	22.83	41.00	(-18.12)

स्रोत: वित्त लेखे एवं MoSPI वेबसाइट

* बैंक टू बैंक ऋण के रूप में प्राप्त जीएसटी क्षतिपूर्ति को शामिल करते हुए (2021-22 में ₹ 2,484.41 करोड़ एवं वर्ष 2020-21 में ₹ 1689 करोड़)

जैसा कि उपरोक्त तालिका में दर्शाया गया है, 2017-18 से 2021-22 के दौरान पूँजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर ने (-) 4.31 प्रतिशत और 41 प्रतिशत के बीच व्यापक दोलन दिखाया। 2021-22 के दौरान, राज्य की पूँजीगत प्राप्तियों में पिछले वर्ष की तुलना में, मुख्य रूप से बाजार ऋणों के तहत कम उधारी (₹ 4,400 करोड़ से) के कारण काफी कमी आई, जिसे भारत सरकार द्वारा ऋण और अग्रिमों के तहत अधिक प्राप्ति (₹ 657 करोड़ से) द्वारा आंशिक रूप से प्रतिपूरित किया गया था।

ऊर्जा कंपनियों से ऋण वसूली के कारण पिछले वर्ष की तुलना में 2021-22 में गैर-ऋण पूँजीगत प्राप्तियों में (₹ 1,243 करोड़ से) उल्लेखनीय वृद्धि हुई।

2020-21 में ₹ 1,689 करोड़ की तुलना में वर्ष 2021-22 के दौरान, भारत सरकार से जी.एस.टी. क्षतिपूर्ति अनुदान ₹ 2,484.41 करोड़ की बैंक टू बैंक ऋण प्राप्त होने के कारण भारत सरकार से प्राप्त ऋण में ₹ 657 करोड़ से वृद्धि हुई। चालू वर्ष के दौरान कोविड-19 महामारी से उत्पन्न कठिन वित्तीय वातावरण में पूँजीगत व्यय के लिए राज्यों को विशेष सहायता के रूप में ₹ 246 करोड़ का ऋण भी प्रदान किया गया। जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा तय किया गया है, जी.एस.टी क्षतिपूर्ति के बदले राज्य को प्रदान किए गए बैंक टू बैंक ऋणों के लिए राज्य की कोई पुनर्भुगतान देयता नहीं थी। भारत सरकार द्वारा यह भी निर्णय लिया गया था कि राजकोषीय घाटे और ऋण देयता की गणना के लिए बैंक टू बैंक ऋण और पूँजीगत व्यय के लिए विशेष सहायता को शामिल नहीं किया जाना चाहिए।

2.3.4 संसाधनों के संग्रहण में राज्य का प्रदर्शन

संसाधनों को जुटाने में राज्य का प्रदर्शन स्वयं के कर एवं कर-भिन्न स्रोत सहित स्वयं के संसाधनों के संदर्भ में होता है। बजट/एम.टी.एफ.पी तथा 2021-22 के लिए एफ.एफ.सी. में संसाधनों के संग्रहण के अनुमान तालिका 2.10 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.10: 2021-22 हेतु कर एवं कर-भिन्न अनुमान के सापेक्ष प्राप्ति

(₹ करोड़ में)

	एम.टी.एफ.पी. अनुमान	एफ.एफ.सी. अनुमान	वास्तविक	एम.टी.एफ.पी. अनुमान के सापेक्ष वास्तविक विचलन की प्रतिशतता
स्वयं-कर राजस्व	23,265	15,041	21,290	(-)8.49
कर-भिन्न राजस्व	13,500	8,921	10,031	(-)25.70

जैसा कि तालिका 2.10 में दर्शाया गया है, वर्ष 2021-22 के दौरान स्वयं-कर राजस्व एवं कर-भिन्न राजस्व का वास्तविक संग्रहण वर्ष के लिए अनुमानित एम.टी.एफ.पी. अनुमान से बहुत कम था। हालांकि, वर्ष के दौरान स्वयं कर राजस्व तथा कर-भिन्न राजस्व का संग्रहण एफ.एफ.सी. के अनुमान से अधिक था।

2.4 संसाधनों के अनुप्रयोग

राजकोषीय उत्तरदायी अधिनियम ढाँचे के अधीन व्यय करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है, जबकि उसी समय यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि राज्य में चल रहे राजकोषीय सुधार एवं समेकन प्रक्रिया, पूँजीगत मूल संरचना तथा सामाजिक क्षेत्र के विकास के लिए निर्देशित व्यय की लागत पर ना हो।

व्यय की संरचना एवं वृद्धि

तालिका 2.11, चार्ट 2.7 तथा परिशिष्ट 2.2 विगत पाँच वर्षों (2017-18 से 2021-22) में कुल व्यय तथा उसकी संरचना की प्रवृत्तियाँ प्रस्तुत करते हैं।

तालिका 2.11: कुल व्यय एवं इसकी संरचना

(₹ करोड़ में)

ब्यौरा	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
कुल व्यय (कु.व्य.)	64,756	62,827	66,501	71,110	73,618
राजस्व व्यय (रा.व्य.)	50,952	50,631	56,457	59,264	62,778
पूँजीगत व्यय (पूँ.व्य.)	11,953	10,712	9,879	8,466	9,377
ऋण एवं अग्रिम	1,852	1,485	165	3,380	1,463
स.रा.घ.उ. के प्रतिशतता के रूप में					
कुल व्यय/ स.रा.घ.उ.	24.00	20.60	20.70	22.40	20.28
राजस्व व्यय/ स.रा.घ.उ.	18.90	16.56	17.58	18.69	17.29
पूँजीगत व्यय/ स.रा.घ.उ.	4.43	3.50	3.08	2.67	2.58
ऋण एवं अग्रिम/ स.रा.घ.उ.	0.69	0.49	0.05	1.07	0.40

जैसा कि तालिका 2.11 में दर्शाया गया है कि स.रा.घ.उ. से कुल व्यय, राजस्व व्यय, ऋण और अग्रिम इत्यादि के अनुपात में वर्ष 2020-21 के दौरान इसके


अनुपात की तुलना में 2021-22 के दौरान कमी हुई, जबकि स.रा.घ.उ. से पूँजीगत व्यय का अनुपात 2017-18 से 2021-22 तक लगातार घटती गयी। तालिका में व्यय की प्रवृत्ति सरकारी खर्च में बढ़ती प्रवृत्ति को दर्शाती है। चालू वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा पूँजीगत परिसंपत्ति के सृजन को भी प्राथमिकता दी गई।

तालिका 2.12: विभिन्न क्षेत्रों की व्यय में सापेक्षिक हिस्सेदारी

(प्रतिशत में)


ब्यौरा	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
सामान्य सेवा	26.90	29.40	30.00	29.00	30.00
सामाजिक सेवा	32.60	32.50	34.50	35.00	36.00
आर्थिक सेवा	40.50	38.10	35.50	36.00	34.00

चार्ट 2.7: कुल व्यय - गतिविधियों के अनुसार व्यय



तालिका 2.12 एवं चार्ट 2.7 से यह स्पष्ट है कि सामान्य सेवाओं पर व्यय का हिस्सा 2020-21 को छोड़कर वर्ष 2017-18 से 2021-22 के दौरान लगातार बढ़ता रहा। सामाजिक सेवाओं पर व्यय का हिस्सा 2018-19 और 2021-22 के दौरान लगातार बढ़ता रहा। उपरोक्त तालिका एवं चार्ट से यह भी देखा जा सकता है कि आर्थिक सेवाओं पर व्यय 2017-18 में 40 प्रतिशत से लगातार घटकर 2021-22 में 34 प्रतिशत हो गया, जो इस क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा दी गई कम प्राथमिकता का संकेत था।

चार्ट 2.8: कुल व्यय - इसके घटकों के भाग का रूझान



जैसा कि चार्ट 2.8 से स्पष्ट है कि कुल व्यय में राजस्व व्यय का हिस्सा 2020-21 को छोड़कर 2017-18 में 78.68 प्रतिशत से लगातार बढ़कर 2021-22 में 85.28 प्रतिशत हो गया। 2017-22 के दौरान पूँजीगत व्यय की हिस्सेदारी में 11.91 प्रतिशत तथा 18.46 प्रतिशत के बीच व्यापक दोलन देखा गया। 2021-22 के दौरान ऋण और अग्रिम की हिस्सेदारी में पिछले वर्ष के सापेक्ष काफी कमी हुई।

2.4.1 राजस्व व्यय

राजस्व व्यय पूर्व के उत्तरदायित्व हेतु भुगतान तथा सेवाओं के वर्तमान स्तर को बनाए रखने के लिए किया जाता है। अतः, यह राज्य के आधारभूत ढाँचे और सेवा विस्तार में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं करता।

यह देखा गया कि कुल व्यय के प्रतिशतता के रूप में राजस्व व्यय (रा.व्य.) वर्ष 2017-18 के 79 प्रतिशत से उल्लेखनीय रूप से बढ़कर 2021-22 में 85.28 प्रतिशत हो गया। आगे, 2021-22 में स.रा.घ.उ. के प्रतिशतता के रूप में राजस्व व्यय में पिछले वर्ष से एक प्रतिशत से अधिक की कमी हुई।

2021-22 के दौरान कुल राजस्व व्यय ₹ 62,778 करोड़ में से ₹ 30,618 करोड़ स्थापना पर तथा ₹ 32,160 करोड़ राज्य तथा केन्द्रीय योजनाओं पर व्यय किया गया। आगे, राजस्व व्यय का मुख्य हिस्सा (36 प्रतिशत) सामाजिक सेवा पर खर्च किया गया, इसके बाद आर्थिक सेवा पर (34 प्रतिशत) खर्च किया गया। कुल राजस्व व्यय, उसकी वृद्धि दर, कुल व्यय से इसका अनुपात स.रा.घ.उ. तथा राजस्व प्राप्तियाँ के सापेक्ष उत्प्लावकता तालिका 2.13 में दर्शाया गया है। 2021-22 से संबंधित राजस्व व्यय का क्षेत्रवार वितरण चार्ट 2.9 में दिया गया है।

तालिका 2.13: राजस्व व्यय-आधारभूत मापदंड


(₹करोड़ में)

ब्यौरा	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
कुल व्यय (कु.व्य.)	64,756	62,827	66,501	71,110	73,618
राजस्व व्यय (रा.व्य.)	50,952	50,631	56,457	59,264	62,778
रा.व्य. की वृद्धि दर (प्रतिशत)	13.00	-0.60	11.50	5.00	5.93
कुल व्यय के प्रतिशतता के रूप में रा.व्य.	78.70	80.60	84.90	83.30	85.28
रा.व्य/ स.रा.घ.उ.(प्रतिशत)	18.90	16.56	17.58	18.69	17.29
रा.प्राप्ति के प्रतिशतता के रूप में रा.व्य.	96.60	90.20	96.60	105.50	90.00
राजस्व व्यय की उत्प्लावकता के साथ					
स.रा.घ.उ. (अनुपात)	0.91	-0.05	2.27	-3.94	0.41
राजस्व प्राप्तियाँ (अनुपात)	1.07	-0.09	2.85	-1.29	0.24

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

2021-22 के दौरान कुल राजस्व व्यय की प्रतिशतता के रूप में विभिन्न सेवाओं पर राजस्व व्यय चार्ट 2.9 में दर्शाया गया है।

चार्ट 2.9: राजस्व व्यय का क्षेत्रवार-विवरण



2020-21 में पाँच प्रतिशत के तुलना में 2021-22 के दौरान राजस्व व्यय की वृद्धि दर छः प्रतिशत रही यद्यपि कुल व्यय में इसकी प्रतिशतता पिछले वर्ष के लगभग बराबर रही। हालांकि, स.रा.घ.उ. के प्रतिशत के रूप में, पिछले वर्ष की तुलना में राजस्व व्यय में 1.40 प्रतिशत की कमी हुई। यह भी देखा गया कि 2021-22 के दौरान बजट आकलन (₹ 75,755 करोड़) के सापेक्ष राजस्व व्यय ₹ 12,977 करोड़ से कम था।

राजस्व व्यय में मुख्य बदलाव

वर्तमान एवं विगत वर्ष के दौरान राज्य के राजस्व व्यय के संबंध में विभिन्न लेखा शीर्षों के अधीन उल्लेखनीय विचलन तालिका 2.14 में वर्णित है।

तालिका 2.14: 2020-21 की तुलना में 2021-22 के दौरान राजस्व व्यय में विचलन

(₹ करोड़ में)

लेखे के मुख्य शीर्ष	2020-21	2021-22	वृद्धि(+)/ कमी(-)
2049- ब्याज भुगतान	57.90	62.86	4.96
2055- पुलिस	49.39	52.78	3.39
2271- पेंशन	67.96	76.14	8.18
2202- सामान्य शिक्षा	97.66	108.17	10.51
2217- शहरी विकास	28.61	24.21	-4.40
2235 - सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	35.37	39.43	4.06
2236- पोषण	2.72	5.45	2.73
2401- फसल कृषि-कर्म	9.98	22.13	12.15
2505- ग्रामीण रोजगार	41.23	36.09	-5.14
2801- उर्जा	18.72	36.58	17.86
2515- अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	30.21	16.21	-14.00
3451- सचिवालय आर्थिक सेवा	8.58	1.74	-6.84

जैसा कि उपरोक्त तालिका में दिखाया गया है, अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम, शहरी विकास और ग्रामीण रोजगार पर राजस्व व्यय पिछले वर्ष से 2021-22 के दौरान कम हुआ।

अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर राजस्व व्यय में कमी मुख्य रूप से ग्राम पंचायतों, सामुदायिक विकास, प्रखण्ड पंचायतों आदि को कम सहायता मिलने के कारण हुई।

शहरी विकास पर कम व्यय मुख्य रूप से स्थानीय निकाय निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों और शहरी उन्नति आदि को कम सहायता के कारण थी।

ऊर्जा पर राजस्व व्यय में वृद्धि 'जल विद्युत् उत्पादन में यंत्र तथा मशीनरी', 'ग्रामीण विद्युतीकरण जनजातीय क्षेत्र उप-योजना' आदि पर अधिक व्यय का परिणाम था। इसी प्रकार, फसल कृषि-कर्म में वृद्धि 'खाद्य पदार्थ फसल' और 'जनजातीय क्षेत्र उप-योजना' पर अधिक व्यय का परिणाम था।

2.4.2 प्रतिबद्ध व्यय

राजस्व लेखे पर राज्य सरकार के प्रतिबद्ध व्यय में ब्याज भुगतान, वेतन व मजदूरी और पेंशन पर व्यय शामिल है। यह सरकारी संसाधनों पर सर्वप्रथम भारित होता है। प्रतिबद्ध व्यय में वृद्धि की प्रवृत्ति, विकास पर व्यय के लिए सरकार के पास कम सम्भावना छोड़ती है।

तालिका 2.15 वर्ष 2017-18 से 2021-22 के दौरान प्रतिबद्ध व्यय के घटकों की प्रवृत्तियाँ समान अवधि के दौरान राजस्व प्राप्तियों एवं राजस्व व्यय के सापेक्ष प्रतिबद्ध व्यय की प्रतिशतता को दर्शाती है।

तालिका 2.15: प्रतिबद्ध व्यय के घटक

(₹ करोड़ में)

प्रतिबद्ध व्यय के घटक	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
वेतन व मजदूरी	11,221	12,138	12,832	12,885	13,979
पेंशन पर व्यय	5,913	5,991	6,005	6,797	7,614
ब्याज भुगतान	4,662	4,852	5,308	5,790	6,286
कुल	21,796	22,981	24,145	25,472	27,879
राजस्व प्राप्तियों (रा. प्रा.) के प्रतिशतता के रूप में					
वेतन व मजदूरी	21.30	21.60	22.00	22.90	20.05
पेंशन पर व्यय	11.21	10.67	10.28	12.11	10.92
ब्याज भुगतान	8.84	8.64	9.09	10.31	9.02
कुल	41.34	40.91	41.37	45.32	39.99
राजस्व व्यय (रा. व्य.) के प्रतिशतता के रूप में					
वेतन व मजदूरी	22.02	23.97	22.73	21.74	22.27
पेंशन पर व्यय	11.61	11.83	10.64	11.47	12.13
ब्याज भुगतान	9.15	9.58	9.40	9.77	10.01
कुल	42.75	45.42	42.74	42.98	44.41

2021-22 के दौरान, वेतन व मजदूरी, ब्याज अदायगी एवं पेंशन पर कुल व्यय वर्ष 2020-21 में 42.98 प्रतिशत के सापेक्ष राजस्व व्यय का प्रतिशत 44.41 रहा, जबकि, राजस्व प्राप्तियों में इसका हिस्सा 2020-21 में 45.32 प्रतिशत के सापेक्ष 2021-22 में उल्लेखनीय रूप से 39.99 प्रतिशत तक घट गई।

ब्याज अदायगी

ब्याज अदायगी की वृद्धि दर वर्ष 2020-21 के 9.10 प्रतिशत के सापेक्ष वर्ष 2021-22 में 8.60 प्रतिशत थी। वर्ष के दौरान राजस्व प्राप्तियों की उच्च वृद्धि दर के कारण राजस्व प्राप्तियों से ब्याज भुगतान की प्रतिशतता वर्ष 2020-21 में 10.31 प्रतिशत से घटकर 2021-22 में 9.02 प्रतिशत हो गई।

पेंशन भुगतान

वर्ष 2021-22 के दौरान झारखण्ड सरकार ने अपने कर्मचारियों को पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभ के रूप में ₹ 6,793.77 करोड़ (एनएसडीएल को नियोक्ता अंशदान के रूप में प्रेषित ₹ 820.53 करोड़ को छोड़कर) का भुगतान किया। कुल पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभ नियोक्ता अंशदान सहित (₹ 7,614.30 करोड़) राजस्व प्राप्ति एवं राजस्व व्यय का क्रमशः 10.92 प्रतिशत और 10.13 प्रतिशत रहा। वर्ष 2021-22 के दौरान कुल पेंशन भुगतान सरकार द्वारा भुगतान किये गए कुल वेतन एवं मजदूरी का 54.47 प्रतिशत था जो प्रतिबद्ध दायित्वों पर व्यय हेतु सरकार पर दबाव को इंगित करता है।

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में अमुक्त दायित्व

1 दिसम्बर 2004 को या उसके बाद बहाल किए गए राज्य सरकार के कर्मचारियों को एक परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना के तहत राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (रा.पे.प्र.) में रखा गया है। इस योजना के संदर्भ में, कर्मचारी मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 10 प्रतिशत अंशदान देता है जिसके विरुद्ध मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 14 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा भी दिया जाता है तथा सम्पूर्ण राशि नेशनल सिक्क्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एन.एस.डी.एल./ट्रस्टी बैंक को हस्तांतरित कर दी जाती है।

2021-22 के दौरान ₹ 820.53 करोड़ नियोक्ता योगदान को एन.एस.डी.एल. को हस्तांतरित किया गया था। वर्ष 2021-22 के दौरान राज्य सरकार ने एन.एस.डी.एल. के द्वारा नामित निधि प्रबंधक को कर्मचारियों के योगदान से प्राप्त ₹ 637.17 करोड़ के विरुद्ध ₹ 638.35 करोड़ की प्राप्ति हस्तांतरित किया। वर्ष 2021-22 के अंत तक लोक लेखा में (मुख्य शीर्ष 8342-117- परिभाषित योगदान पेंशन योजना) ₹ 24.15 करोड़ शेष रह गयी।

सब्सिडी

जैसा कि तालिका 2.16 में दिए गए विवरण से देखा जा सकता है कि वर्ष 2021-22 के दौरान सब्सिडी पर व्यय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशतता के रूप में सब्सिडी 2020-21 में 5.71 प्रतिशत से बढ़कर 2021-22 में 8.11 प्रतिशत हो गई है। इसी प्रकार, राजस्व व्यय के प्रतिशतता के रूप में सब्सिडी 2020-21 में 5.41 प्रतिशत से बढ़कर 2021-22 में 9.00 प्रतिशत हो गई।

2021-22 के दौरान, झारखण्ड सरकार ने मुख्यतः मुख्य शीर्ष 2401- फसल कृषि-कर्म (₹ 2,025 करोड़), 2801- ऊर्जा (₹ 2,072 करोड़) तथा 3456- जन आपूर्ति (₹ 1,318 करोड़) को सब्सिडी दी। सिंचाई हेतु कोई सब्सिडी नहीं दी गई। पिछले वर्ष की तुलना में 2021-22 के दौरान, सब्सिडी में ₹ 2,445 करोड़ की वृद्धि मुख्य रूप से किसानों को ऋण माफी योजना के तहत सब्सिडी में ₹ 1,300 करोड़ और उपभोक्ताओं के लिए जे.बी.वी.एन.एल. के माध्यम से टैरिफ सब्सिडी में ₹ 1,072 करोड़ की वृद्धि के कारण थी।

तालिका 2.16: वर्ष 2017-22 के दौरान सब्सिडी पर व्यय

	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
सब्सिडी (₹ करोड़ में)	1,440	2,092	4,275	3,208	5,653
राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशतता के रूप में सब्सिडी	2.73	3.73	7.32	5.71	8.11
राजस्व व्यय के प्रतिशतता के रूप में सब्सिडी	2.83	4.13	7.57	5.41	9.00

स्रोत: वित्त एवं विनियोग लेखे

सब्सिडी न केवल प्रत्यक्ष रूप से वितरित की जाती है बल्कि लोगों को रियायती दर पर सार्वजनिक सेवा प्रदान करके अप्रत्यक्ष रूप से भी वितरित की जाती है। वर्ष 2021-22 के खातों की जांच के दौरान पाया गया कि ₹ 347.72 करोड़ (अनुदान संख्या 51, 58, 59 और 60) छात्रों को पोशाक, साइकिल, पाठ्य पुस्तकें, स्कूल किट और परीक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति के लिए, कंबल एवं कपड़ा वितरण योजना आदि के लिए प्रदान किया गया था जिसका पूर्ण उपयोग कर लिया गया था।

स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थानों को राज्य सरकार द्वारा दी गई वित्तीय सहायता

स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थानों को अनुदान के रूप में राज्य सरकार द्वारा वित्तीय सहायता दी जाती है। विवरण तालिका 2.17 में दी गई है।

तालिका 2.17: संस्थानों आदि को वित्तीय सहायता

(₹ करोड़ में)

संस्थानों को वित्तीय सहायता	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
(अ) स्थानीय निकायें					
नगर निगम एवं नगरपालिका	1,155.11	1,748.50	1,505.45	1,930.03	1,042.33
पंचायती राज संस्थान	1,270.13	2,937.69	2,497.70	1,771.20	772.76
कुल (अ)	2,425.24	4,686.19	4,003.15	3,701.23	1,815.09
(ब) अन्य					
विश्वविद्यालय	671.67	621.08	1,265.29	1,771.17	1,807.60
विकास प्राधिकरण	7,447.41	3,952.30	10,771.73	8,283.26	8,751.59
सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम	0.00	0.00	1,753.28	2,119.77	2,469.66
अन्य संस्थान	10,169.67	8,716.24	1,398.01	4,202.24	4,786.01
कुल (ब)	18,288.75	13,289.62	15,188.31	16,376.44	17,814.86
कुल (अ+ब)	20,713.99	17,975.81	19,191.46	20,077.67	19,629.95
राजस्व व्यय	50,952	50,631	56,457	59,264	62,777.92
राजस्व व्यय के प्रतिशतता के रूप में सहायता	40.65	35.50	33.99	33.88	31.27

2021-22 के दौरान, शहरी स्थानीय निकाय को दिए गए वित्तीय सहायता में ₹ 887.70 करोड़ की कमी मुख्य रूप से वित्त आयोग के सिफारिशों (₹ 292.16 करोड़ से) और प्रधानमंत्री आवास योजना (₹ 226.06 करोड़ से) के तहत प्रदान किए गए कम अनुदान के कारण हुई। 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 1,064.50 करोड़ कम अनुदान की प्राप्ति के कारण पंचायती राज संस्थान को वित्तीय सहायता में कमी आई।

राज्य वित्त आयोग की सिफारिश

संविधान के अनुच्छेद 243 वाई में प्रावधान है कि राज्य के राज्यपाल अधिनियम के प्रारम्भ से एक वर्ष के भीतर और उसके बाद प्रत्येक पांचवें वर्ष की समाप्ति पर एक वित्त आयोग का गठन करेंगे जो नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करेगी तथा राज्य एवं यू.एल.बी. के बीच करों, शुल्कों आदि के निर्धारण, वितरण, यू.एल.बी. को सहायता अनुदान तथा वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए आवश्यक उपायों के बारे में राज्यपाल को सिफारिश प्रदान करेंगे।

राज्य सरकार ने तीन राज्य वित्त आयोगों (एस.एफ.सी) का गठन किया था। पहले एस.एफ.सी की सिफारिशें केवल शहरी स्थानीय निकाय (यू.एल.बी.) के लिए थीं। दूसरे और तीसरे एस.एफ.सी. का गठन क्रमशः दिसम्बर 2009 और अप्रैल 2015 में किया गया था, लेकिन उन्होंने कोई रिपोर्ट पेश नहीं की। ग्रामीण स्थानीय निकाय के लिए एस.एफ.सी के द्वारा कोई सिफारिश नहीं दी गई।

चौथे एस.एफ.सी के गठन की अधिसूचना भी राज्य सरकार द्वारा जुलाई 2019 में जारी की गई थी, लेकिन अक्टूबर 2022 तक एस.एफ.सी. के अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं की गयी थी।


पहले एस.एफ.सी. ने 2009-10 में राज्य द्वारा यू.एल.बी. के साथ करों को आवंटित/साझा नहीं करने के कारण ₹ 375 प्रति व्यक्ति की दर से “केंद्रीकृत नगर सेवा प्रावधान अनुदान” के प्रावधान के लिए सिफारिश की थी, जिसमें अगले चार वर्षों के लिए 10 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि की व्यवस्था दी गयी थी। हालाँकि, न तो यू.एल.बी. की वित्तीय स्थिति की समीक्षा की गई और न ही पर्याप्त वित्तीय संसाधनों के आवंटन के लिए सिद्धांत को एस.एफ.सी. द्वारा निर्धारित किया गया।

राज्य सरकार द्वारा पहले राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों को लागू नहीं किया गया और यह निर्णय (अक्टूबर 2013) लिया गया था कि कर्मचारियों के वेतन को पूरा करने के लिए शहरी स्थानीय निकायों को 40 प्रतिशत ऋण और 30 प्रतिशत अनुदान प्रदान किया जाएगा। सभी प्रकार के सैरात⁴, सार्वजनिक भूमि, बाजार, तालाब आदि स्वयं का राजस्व उत्पन्न करने के लिए यू.एल.बी. को स्थानांतरित कर दिया था। इसी प्रकार राज्य सरकार द्वारा ऋण तथा अनुदान जारी किया गया। आगे राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार झारखण्ड शहरी विकास निधि के लिए राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2016-19 के दौरान शहरी आधारभूत संरचना विकास परियोजना (यू.आई.डी.पी) के लिए बजट प्रावधान बनाया लेकिन निधि यू.एल.बी को हस्तांतरित नहीं की गई। यहाँ तक कि राज्य सरकार द्वारा 2018-19 के बाद कोई बजट प्रावधान नहीं किया गया।

2.4.3 पूँजीगत व्यय

पूँजीगत व्यय (पू. व्य.) वह प्राथमिक व्यय है जो स्थायी आधारभूत संरचना जैसे सड़क, भवन इत्यादि के निर्माण पर खर्च होता है।

चार्ट 2.10: राज्य में पूँजीगत व्यय



⁴ सैरात का मतलब निगम की राजस्व अर्जित करने वाली परिसंपत्तियाँ जैसे सार्वजनिक भूमि, बाजार, तालाब इत्यादि।

पूँजीगत व्यय में मुख्य बदलाव

पूँजीगत व्यय 2017-18 में ₹ 11,953 करोड़ से लगातार घटकर 2020-21 में ₹ 8,466 करोड़ हो गई, जो 2021-22 में बढ़कर ₹ 9,377 करोड़ हो गई। 2021-22 के दौरान, पिछले वर्ष की तुलना में सामाजिक सेवाओं पर व्यय सात प्रतिशत और आर्थिक सेवाओं पर व्यय 14 प्रतिशत अधिक होने के कारण पूँजीगत व्यय में वृद्धि हुई। सामान्य सेवाओं पर पूँजीगत व्यय पिछले वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के दौरान (₹ 37 करोड़ से) थोड़ा कम हुआ।

2021-22 के दौरान सामाजिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय में ₹ 104 करोड़ की वृद्धि हुई, जो मुख्य रूप से जल आपूर्ति और स्वच्छता (₹ 67 करोड़ से), आवास (₹ 43 करोड़ से) और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों के कल्याण (₹ 95 करोड़ से) पर पूँजीगत व्यय में वृद्धि के कारण हुआ जो चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर कम पूँजीगत व्यय (₹ 97 करोड़ से) से प्रतिपूरित हुआ।

इसी प्रकार, 2021-22 में आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय में पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 844 करोड़ वृद्धि हुई। 2021-22 के दौरान वृहत सिंचाई (₹ 164 करोड़ से), खनन और धातुकर्म उद्योगों (₹ 1,000 करोड़ से) को प्राथमिकता दी गई थी, जिसकी प्रतिपूर्ति 2021-22 के दौरान ऊर्जा परियोजनाओं (₹ 538 करोड़ से) पर कम पूँजीगत व्यय से हुई।

राज्य का पूँजीगत व्यय (₹ 9,377 करोड़) वर्ष 2021-22 के लिए किए गए इसके बजट प्रावधान (₹ 9,661 करोड़) के लगभग बराबर थी। हालाँकि, पूँजीगत व्यय के लिए बजट प्रावधान से ₹ 284 करोड़ का उपयोग नहीं किया जा सका। विद्युत परियोजनाओं पर पूँजीगत व्यय में कमी केवल 2020-21 के दौरान हरिजन मोहल्ला में विद्युतीकरण, ग्रामीण विद्युतीकरण और ए.डी.पी. के लिए अनुदान के कारण थी। अधिकांश वर्षों में यह शून्य रहा। झारखण्ड अन्वेषण और खनन निगम लिमिटेड की शेयर पूँजी में एक बार निवेश के कारण अलौह खनन और धातुकर्म उद्योगों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। 2021-22 की तुलना में 2020-21 के दौरान पूँजीगत व्यय में बड़े बदलाव **तालिका 2.18** में दिये गये हैं।

तालिका 2.18: 2020-21 के तुलना में 2021-22 के दौरान पूँजीगत व्यय

(₹ करोड़ में)

लेखाओं का मुख्य शीर्ष	2020-21	2021-22	वृद्धि(+)/कमी (-)
पूँजीगत परिव्यय			
4402-मृदा एवं जल संरक्षण	0.00	198.81	198.81
4408-खाद्य भण्डार एवं भण्डारण	15.00	39.25	24.25
4425-सहकारिता	47.89	91.42	43.53
4700-मुख्य सिंचाई	94.85	259.27	164.42
4702-लघु सिंचाई	93.34	30.52	-62.82
4801-ऊर्जा परियोजना	626.00	87.52	-538.48
4853-अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग	0.00	1,000.00	1,000.00
5075-अन्य परिवहन सेवाएँ	5.00	20.00	15.00

2.4.4 पूँजीगत व्यय की गुणवत्ता

यह खंड चालू वर्ष के दौरान सरकार द्वारा किए गए निवेश और अन्य पूँजीगत व्यय का विश्लेषण प्रस्तुत करता है।

कंपनियों, निगमों और अन्य निकायों में निवेश की गुणवत्ता

16 कंपनियों से प्राप्त अद्यतन लेखों के अनुसार, छः⁵ कंपनियों का शुद्ध मूल्य पूरी तरह से समाप्त हो गया था, क्योंकि उनका संचयी शुद्ध मूल्य 31 मार्च 2022 तक (-) ₹ 6,789.98 करोड़ था।

पुनः उनके लेखाओं के अनुसार पाँच कंपनियों को हानि हो रही थी और वर्ष 2021-22 के दौरान उनकी हानि ₹ 2,707.78 करोड़ थी। हानि में चल रही इन कंपनियों में से दो कंपनियों (जेबीवीएनएल और जेयूएसएनएल) को सरकार से वर्ष 2021-22 के दौरान ₹ 561.87 करोड़ का ऋण प्राप्त हुआ। चूँकि, हानि में चल रही इन कंपनियों को दिया गया ऋण राज्य के पूँजीगत व्यय में शामिल किया गया था, परिणामस्वरूप सरकार के परिसम्पत्तियों का उस स्तर तक अधिमूल्यन हुआ।

यह भी देखा गया कि इन राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का कुल निवेश ₹ 24,814.74 करोड़ था जिसमें से 31 मार्च 2022 तक राज्य द्वारा कुल निवेश ₹ 22,936.66 करोड़ था। इन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संचयी हानि 31 मार्च 2022 तक ₹ 10,859.78 करोड़ था।

सरकार द्वारा इक्विटी में निवेश

31 मार्च 2022 को समाप्त राज्य के वित्त लेखे के अनुसार, राज्य सरकार ने नवंबर 2000 में राज्य के गठन के उपरांत ₹ 2,250.22 करोड़ का निवेश तीन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक⁶ (₹ 45.73 करोड़), 20 सरकारी कंपनियाँ (₹ 2,014.40 करोड़) और 21 सहकारी बैंकों और सोसायटीज (₹ 190.09 करोड़) में किया था। हालांकि, 2016-17 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम के लेखाओं और राज्य के स्वीकृत्यादेश के सत्यापन से पता चला कि बजट वर्गीकरण में त्रुटियों के कारण अर्थात् उचित लघु शीर्ष के तहत निवेश प्रदान नहीं करने और शेयर पूँजी में निवेश को सहायता अनुदान के रूप में दर्शाये जाने के कारण सरकारी लेखे ने 2000-2016 के दौरान ₹ 124.54 करोड़ के निवेश को कम करके आंका था। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने के बाद, राज्य के वित्त विभाग ने 2020-21

⁵ झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (- ₹ 6,390.88 करोड़), झारखंड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड (- ₹ 316.56 करोड़), झारखंड सिल्क टेक्सटाइल एंड हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (- ₹ 36.94 करोड़), झारखंड कोलियरी लिमिटेड (- ₹ 2.99 करोड़) करोड़, पतरातू एनर्जी लिमिटेड (- ₹ 16.39 करोड़) और करनपुरा एनर्जी लिमिटेड (- ₹ 26.22 करोड़)

⁶ राज्य सरकार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (₹ 18.96 करोड़), झारखण्ड ग्रामीण बैंक, राँची (₹ 18.37 करोड़) और वनांचल ग्रामीण बैंक, दुमका (₹ 8.40 करोड़)।

के अंत में चार कंपनियों में ₹ 65 करोड़⁷ के निवेश को संशोधित कर समाशोधित कर लिया। हालाँकि, वर्तमान वित्तीय वर्ष के अंत तक पाँच संस्थाओं के विरुद्ध ₹ 59.54 करोड़⁸ का निवेश अभी भी असमायोजित था।

तालिका 2.19: निवेश पर प्रतिफल

निवेश/प्रतिफल/ उधार की लागत	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
वर्ष के अंत में निवेश (₹ करोड़ में)	376.87	432.87	447.95	1,111.65	2,250.22
प्रतिफल (₹ करोड़ में)	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00
प्रतिफल (प्रतिशत)	0.00	0.00	0.00	1.35	0.00
सरकारी उधारी पर ब्याज की औसत दर (प्रतिशत)	6.98	6.29	6.34	6.13	5.76
ब्याज दर तथा प्रतिफल में अंतर (प्रतिशत)	6.98	6.29	6.34	4.78	5.76

स्रोत : वित्त लेख

अपने निवेश पर कोई प्रतिफल नहीं मिलने के बावजूद, राज्य सरकार ने 2021-22 के दौरान इक्विटी के रूप में चार⁹ राज्य सार्वजनिक उपक्रमों और दो सहकारी (जनजातीय सहकारी विकास निगम- ₹ 0.05 करोड़ तथा सिद्ध-कान्हो कृषि तथा वन्य उत्पाद राज्य सहकारी संघ लिमिटेड- ₹ 29 करोड़) में ₹ 1,138.57 करोड़ का निवेश किया।

14 नवम्बर 2000 तक दामोदर घाटी निगम (₹ 1,781.55 करोड़) और तेनुघाट विद्युत निगम लिमिटेड (₹ 100 करोड़) में इक्विटी के रूप में तत्कालीन बिहार राज्य द्वारा किये गए निवेश को अभी तक उत्तराधिकारी राज्यों के बीच विभाजित नहीं किया गया है।

2.4.5 राज्य सरकार द्वारा ऋण व अग्रिम

तालिका 2.19 में दिखाए गए संस्थाओं में इक्विटी निवेशों के अलावे राज्य सरकार इनमें से कई संस्थाओं और अपने कर्मचारियों को ऋण व अग्रिम प्रदान करती है। 31 मार्च 2022 को बकाया ऋण व अग्रिम तथा ब्याज प्राप्तियों के साथ-साथ पिछले पाँच वर्षों के दौरान ब्याज भुगतान तालिका 2.20 में प्रस्तुत हैं।

⁷ झारखण्ड पहाड़ी क्षेत्र उद्वहन सिंचाई निगम: ₹ 5 करोड़; झारखण्ड शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम: ₹ 35 करोड़; झारखण्ड सिल्क टेक्सटाइल व हस्तशिल्प विकास निगम: ₹ 10 करोड़ और झारखण्ड शहरी परिवहन निगम लिमिटेड: ₹ 15 करोड़।

⁸ ग्रेटर राँची विकास प्राधिकरण: ₹ 39.14 करोड़; झारखण्ड राज्य कृषि विकास निगम लिमिटेड: ₹ 2 करोड़; झारखण्ड चिकित्सा एवं स्वास्थ्य आधारभूत संरचना विकास और क्रय निगम लिमिटेड: ₹ 5 करोड़; झारखण्ड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड: ₹ 8.40 करोड़ और झारखण्ड राज्य खाद्य एवं जन आपूर्ति निगम लिमिटेड: ₹ 5 करोड़।

⁹ झारखंड अन्वेषण एवं खनन कॉर्पोरेशन लिमिटेड: ₹ 1,000 करोड़; झारखंड औद्योगिक अवसंरचना विकास निगम: ₹ 2 करोड़; झारखंड सेंट्रल रेलवे परियोजना: ₹ 20 करोड़; और झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड: ₹ 87.52 करोड़।

तालिका 2.20: पाँच वर्षों के दौरान प्रदत्त और वसूली गई ऋण की मात्रा

(₹ करोड़ में)

प्रदत्त तथा वसूली गई ऋण की मात्रा	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
बकाया ऋण का प्रारंभिक शेष	17,482.71	19,291.97	20,729.99	20,846.24	24,177.23
वर्ष के दौरान अग्रिम के रूप में दी गई राशि	1,851.67	1,485.59	165.43	3,379.77	1,462.98
वर्ष के दौरान वसूली गई राशि	42.41	47.57	49.19	48.78	1,291.73
बकाया ऋण का अंत शेष	19,291.97	20,729.99	20,846.23	24,177.23	24,348.48
निवल जोड़	1,809.26	1,438.02	116.24	3,330.99	171.25
प्राप्त ब्याज	87.66	14.72	38.91	22.62	35.88
सरकार द्वारा प्रदत्त ऋण और अग्रिम पर ब्याज दर	0.50	0.08	0.19	0.11	0.15
सरकार के बकाया उधार पर भुगतित ब्याज दर	6.98	7.98	6.34	6.13	5.76
ब्याज भुगतान दर तथा प्राप्त ब्याज दर के बीच अंतर (प्रतिशत)	6.98	7.98	6.34	6.13	5.76

टिप्पणी- लेखों को पूर्णांकित करने के कारण 2020-21 में प्रारम्भिक शेष ₹ 0.01 करोड़ से बढ़ गया।

मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के अंत में कुल बकाया ऋण (₹ 24,348 करोड़) का बड़ा भाग मुख्य रूप से ऊर्जा कंपनियों (₹ 23,461 करोड़) और जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास (₹ 792 करोड़) के पास बकाया था।

योजनाओं के क्रियान्वयन और संचरण उद्देश्य के लिए बिजली वितरण निगम लिमिटेड (₹ 923 करोड़) तथा ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड (₹ 490 करोड़) को ऋण दिया गया था। मार्च 2022 के अंत में ऋणदाता संस्थाओं की लंबित बकाया राशि ₹ 3,531.23 करोड़ (मूलधन: ₹ 1,823.93 करोड़ और ब्याज: ₹ 1,707.30 करोड़) थी।

2011-12 में झारखण्ड राज्य खाद्य और जन आपूर्ति निगम लिमिटेड (₹ 44 करोड़) का ऋण पूँजीगत व्यय के बजाय राजस्व व्यय के अधीन गलत बजटीय वर्गीकरण के कारण सरकारी लेखों में न्यूनोक्ति हुई। झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड (जेएसईबी) को प्रदत्त ₹ 7,222.18 करोड़ के ऋण को बोर्ड से प्राप्तियों के रूप में सरकारी लेखों में दर्शाया जाना जारी है, जबकि बोर्ड जनवरी 2014 में विभिन्न कंपनियों में विभाजित हो गया था। इस प्रकार, राज्य की परिसंपत्तियों में ₹ 7,222.18 करोड़ की सीमा तक अत्योक्ति हुई।

आगे, 14 नवम्बर 2000 तक पूर्ववर्ती बिहार राज्य द्वारा तेनुघाट विद्युत् निगम लिमिटेड (₹ 608 करोड़) के ऋण का बँटवारा उत्तराधिकारी राज्यों बिहार तथा झारखण्ड के बीच नहीं किया गया।

2.4.6 अधूरी परियोजनाओं में अवरुद्ध पूँजी

अपूर्ण पूँजीगत कार्यों में अवरुद्ध पूँजी में प्रवृत्तियों का आकलन पूँजीगत व्यय की गुणवत्ता का संकेत देता है। अधूरे परियोजनाओं/कार्यों पर धनराशि के अवरुद्ध होने

से, व्यय की गुणवत्ता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और लंबे समय के लिए इच्छित लाभों से राज्य को वंचित रहना पड़ता है। पुनः, संबंधित वर्षों के दौरान इन परियोजनाओं के कार्यावयन के लिए लिया गया उधार, ऋण और ब्याज देनदारियों की सेवा के रूप में अतिरिक्त बोझ बढ़ाता है।

अधूरी परियोजनाओं से संबंधित विभाग-वार और वर्ष-वार सूचना जो 31 मार्च 2022 तक या उससे पहले पूर्ण की जानी थी, क्रमशः तालिका 2.21 और तालिका 2.22 में दी गई है।

तालिका 2.21: 31 मार्च 2022 तक अधूरी परियोजनाओं का वर्ष-वार विवरण

(₹ करोड़ में)

पूर्ण होने का वर्ष	अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	अनुमानित लागत	व्यय (31 मार्च 2022 तक)	संशोधित अनुमान	
				परियोजनाओं की संख्या	राशि
2015 तक	13	117.43	119.03	5	114.63
2016	10	259.65	206.63	2	104.13
2017	10	249.54	142.06	1	9.35
2018	16	325.96	249.23	2	145.37
2019	37	714.29	456.47	2	11.45
2020	69	1,763.97	998.14	2	30.09
2021	66	1,768.39	976.15	3	98.89
2022	51	1,915.49	869.97	2	120.59
कुल	272	7,114.72	4,017.68	19	634.50

तालिका 2.22: 31 मार्च 2022 तक अधूरी परियोजनाओं का विभाग-वार विवरण

(₹ करोड़ में)

विभाग	अपूर्ण योजनाओं की संख्या	अनुमानित राशि	व्यय	संशोधित अनुमान	
				परियोजनाओं की संख्या	राशि
सड़क निर्माण विभाग	94	3,344.76	1,975.19	6	194.53
ग्रामीण विकास विभाग	70	341.15	194.98	2	23.63
जल संसाधन विभाग	71	2,847.97	1,536.50	10	407.00
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	25	437.59	255.99	1	9.34
भवन निर्माण विभाग	12	143.25	55.02	0	0
कुल	272	7,114.72	4,017.68	19	634.50

स्रोत: वित्त लेखे

उपरोक्त तालिका में दिखाई गई 272 परियोजनाओं में से केवल 19 परियोजनाओं की संशोधित लागत प्रदान की गई, जिससे पता चला कि उन 19 परियोजनाओं में ₹ 634.50 करोड़ की अनुमानित लागत समय पर उन परियोजनाओं के पूरा न होने के कारण ₹ 81.46 करोड़ तक बढ़ गई। चूंकि, शेष परियोजनाओं का विवरण विभागों द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया, इसलिए उनकी संशोधित लागतें वित्त लेखे में नहीं दर्शाया गया था और इस प्रकार, उसकी गणना नहीं की जा सकी।

2.4.7 लोक लेखे में स्थानांतरित किए गए पूँजीगत व्यय

वित्त लेखे से यह देखा गया कि ₹ 2,328.20 करोड़ समेकित निधि के पूँजीगत शीर्ष से लोक लेखा के जमा शीर्ष में स्थानांतरित किए गए थे। कुल स्थानांतरित राशि में से ₹ 283.26 करोड़ लोक निर्माण कार्य जमा शीर्ष को और ₹ 2,044.94 करोड़ स्थानीय निधियों के जमा में स्थानांतरित किए गए। कुछ मुख्य मदें तालिका 2.23 में दिखाया गया है।

तालिका 2.23: समेकित निधि से लोक लेखा में स्थानांतरण

क्र. सं.	लेखा शीर्ष				राशि (₹ करोड़ में)
	से	तक			
1	4515	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम पर पूँजीगत परिव्यय	8443	सिविल जमा - 108 -लोक निर्माण जमा	159.51
2	4055	पुलिस पर पूँजीगत परिव्यय	8448	स्थानीय निधि का जमा- 120- अन्य निधि	147.43
3	4210	चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय	8448	स्थानीय निधि का जमा- 120- अन्य निधि	393.65
4	4225	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक के कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय	8448	स्थानीय निधि का जमा- 120- अन्य निधि	256.70
5	4402	मृदा और जल संरक्षण पर पूँजीगत परिव्यय	8448	स्थानीय निधि का जमा- 120- अन्य निधि	133.65
6	5054	सड़क एवं पुल पर पूँजीगत परिव्यय	8448	स्थानीय निधि का जमा- 120- अन्य निधि	415.96
7	6801	उर्जा परियोजनाओं के लिए ऋण	8448	स्थानीय निधि का जमा-107 राज्य बिजली बोर्ड कार्य निधि	697.55
कुल					2,204.45

लोक लेखे में निधि का खाता अंतरण एक शीर्ष से दूसरे शीर्ष में धन का हस्तांतरण मात्र था और वास्तविक व्यय नहीं था, जिसके कारण पूँजीगत संभाग के अंतर्गत व्यय को अधिक दिखाया गया। वित्तीय वर्ष के दौरान जमा शीर्ष से स्थानांतरित राशियों का व्यय राज्य के लेखाओं में विवरण की अनुपलब्धता के कारण पता लगाया नहीं जा सका। यह देखा गया कि लघु शीर्ष 108-लोक निर्माण कार्य जमा अंतर्गत ₹ 4,315.11 करोड़ के प्रारम्भिक शेष में ₹ 1,719.02 करोड़ जोड़ा गया था (उपर्युक्त तालिका में दिखाये गए लेन-देन को शामिल करते हुए) तथा ₹ 1,776.13 करोड़ व्यय किया गया, जिससे मार्च 2022 के अंत में ₹ 4,258.01 करोड़ का शेष रहा। इसी प्रकार, ₹ 606.52 करोड़ लघु शीर्ष 106-व्यक्तिगत जमा के अंतर्गत ₹ 1,746.52 करोड़ के प्रारम्भिक शेष में जोड़ा गया तथा वर्ष के दौरान ₹ 334.91 करोड़ व्यय किया गया जिससे ₹ 2,018.13 करोड़ का शेष रहा। हालांकि, वर्ष 2021-22 के दौरान लघु शीर्ष 106-व्यक्तिगत जमा के तहत लेखा के पूँजीगत शीर्षों से स्थानांतरण केवल ₹ 1.48 करोड़ था।

2.4.8 सार्वजनिक निजी साझेदारी परियोजनाओं के तहत राज्य की संसाधन उपलब्धता

सार्वजनिक निजी साझेदारी (पी.पी.पी) सरकार या वैधानिक इकाई और एक निजी क्षेत्र की इकाई के बीच एक व्यवस्था है, जो बुनियादी ढाँचे के विकास के लिए जनता की बढ़ती माँग को पूरा करने में राज्य को सक्षम बनाती है, और आधारभूत संरचना प्रदान करती है।

तालिका 2.24: पीपीपी परियोजनाओं का क्षेत्रवार-ब्यौरा

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	क्षेत्र	पूर्ण		कार्यशील	
		संख्या	अनुमानित व्यय	संख्या	अनुमानित व्यय
1	जलापूर्ति एवं स्वच्छता	-	-	1	150.00
2	सड़क एवं पुल	8	5,193.94	2	642.60
3	खेल	-	-	1	250.00
	कुल	8	5,193.94	4	1,042.60

स्रोत: www.pppinindia.gov.in

2.4.9 व्यय की प्राथमिकता

मानव विकास के स्तर को बढ़ाने के लिए राज्यों को शिक्षा, स्वास्थ्य आदि जैसी प्रमुख सामाजिक सेवाओं पर व्यय को बढ़ाने की आवश्यकता होती है। एक विशेष क्षेत्र से जुड़ी राजकोषीय प्राथमिकता (व्यय की एक श्रेणी के तहत कुल व्यय का अनुपात) को कम माना जाता है, यदि इस पर आवंटन संबंधित राष्ट्रीय औसत से कम होता है। कुल व्यय से इन घटकों का अनुपात जितना अधिक होता है, व्यय की गुणवत्ता को उतना बेहतर माना जाता है।

तालिका 2.25: स्वास्थ्य, शिक्षा और पूँजीगत व्यय के संबंध में राज्य के व्यय की प्राथमिकता

(प्रतिशत में)

	पूँ. व्यय/ कु.व्य.	सा. क्षे. व्यय/ कु.व्य.	आ. क्षे. व्यय/ कु.व्य.	वि. व्य./ कु.व्य.	शिक्षा/ कु.व्य.	स्वास्थ्य/ कु.व्य.
सामान्य श्रेणी के राज्य (2016-17)	19.99	35.71	35.06	70.77	14.89	4.76
झारखण्ड (2016-17)	18.96	35.15	40.99	76.14	14.37	4.33
सामान्य श्रेणी के राज्य (2021-22)	14.41	38.31	28.44	66.74	14.66	6.20
झारखण्ड (2021-22)	12.74	35.66	34.02	69.68	15.31	6.55


जैसा कि तालिका से स्पष्ट है, 2021-22 के दौरान पूँजीगत व्यय, विकासात्मक व्यय और आर्थिक क्षेत्र व्यय का कुल व्यय (टी.ई.) से अनुपात में 2016-17 के दौरान इसके अनुपात की तुलना में गिरावट हुई है, जबकि अन्य क्षेत्रों ने वर्ष के दौरान सुधार दिखाया। 2016-17 की तुलना में चालू वर्ष के दौरान स्वास्थ्य क्षेत्र व्यय का कुल व्यय से अनुपात उल्लेखनीय रूप से बढ़ा है।

आगे, तालिका से यह स्पष्ट है कि 2021-22 के दौरान राज्य के कुल व्यय से सभी क्षेत्रों पर व्यय का अनुपात पूँजीगत व्यय और सामाजिक क्षेत्र व्यय को छोड़कर, सामान्य श्रेणी के राज्यों के अनुपात से अधिक था, जो पू. व्य. और सा.क्षे. व्य. पर राज्य सरकार की कम प्राथमिकता का संकेत था। 2016-17 के बाद से व्यय की प्राथमिकताएँ नहीं बदली है, जैसाकि उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है।

2.4.10 वस्तु शीर्ष के अनुसार व्यय

वित्त लेखे प्रायः लघु शीर्ष स्तर तक के लेनदेन को दर्शाता है। इसलिए, वित्त लेखे के विवरण चार में वस्तु शीर्ष के स्तर तक का विवरण दिखाया जाता है। **चार्ट 2.11** प्रमुख मदों पर राजस्व व्यय के बारे में जानकारी साझा करता है।

चार्ट 2.11: मुख्य मदों पर राजस्व व्यय (प्रतिशत में)



जैसा कि **चार्ट 2.11** में दर्शाया गया है, वर्ष 2021-22 के दौरान वेतन, पेंशन, ब्याज भुगतान और सब्सिडी पर कुल राजस्व व्यय का एक बड़ा हिस्सा (53.33 प्रतिशत) खर्च किया गया। राज्य में पूँजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए सहायता अनुदान पर लगभग कुल राजस्व व्यय का नौ प्रतिशत व्यय किया गया, जिसका मुख्य हिस्सा (₹ 4,207.24 करोड़) जिला परिषद को प्रदान किया गया।

2.5 लोक लेखा

प्राप्तियां और संवितरण के कुछ लेनदेन जैसे लघु बचत, भविष्य निधि, रक्षित निधि, जमा, उचंत, प्रेषण आदि जो समेकित निधि का हिस्सा नहीं होते हैं, उन्हें संविधान के अनुच्छेद 266 (2) के तहत निर्धारित लोक लेखा में रखा जाता है और यह राज्य विधानमंडल द्वारा मतदान के अधीन नहीं होता है। इस संबंध में

सरकार बैंकर के रूप में कार्य करती है। वर्ष के दौरान संवितरण के बाद शेष राशि सरकार के पास विभिन्न उद्देश्यों में उपयोग के लिए उपलब्ध होती है।

2.5.1 निवल लोक लेखा शेष

राज्य के लोक लेखा में घटक-वार निवल शेष तालिका 2.26 में दिया गया है।

तालिका 2.26: 31 मार्च 2022 तक लोक लेखाओं में घटक-वार निवल शेष

(₹ करोड़ में)

क्षेत्र	उप क्षेत्र	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
I. लघु बचत, भविष्य निधि आदि	लघु बचत, भविष्य निधि आदि.	(-)1,142.18	(-)1,211.11	(-)1,216.86	(-)1,194.40	(-)1,001.19
J. रक्षित निधि	(अ) रक्षित निधि ब्याज सहित	(-)1,551.04	(-)1,930.09	(-)5,948.02	(-)6,320.39	(-)5,904.48
	(ब) रक्षित निधि ब्याज रहित	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K. जमा व अग्रिम	(अ) ब्याज सहित जमा	(-)13.52	(-)12.64	(-)39.55	(-)25.33	(-)24.15
	(ब) ब्याज रहित जमा	(-)18,356.40	(-)19,853.80	(-)21,065.20	(-)24,331.45	(-)23,585.14
	(स) अग्रिम	5.78	6.28	7.15	19.67	19.67
L. उचंत एवं विविध	(अ) उचंत	132.14	5.42	(-)91.29	(-)146.35	(-)119.25
	(ब) अन्य लेखे	392.60	207.09	3,117.62	2,855.90	4,519.46
	(स) विदेशी सरकार के साथ लेखे	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	(द) विविध	0.00	0.00	0.00	1.60	1.60
M. प्रेषण	(अ) मनीऑर्डर, एवं अन्य प्रेषण	(-)66.84	(-)118.85	(-)114.25	(-)133.68	(-)125.38
	(ब) अंतर सरकारी समायोजन खाता	27.16	19.57	31.95	7.23	12.74
कुल		(-)20,572.30	(-)22,888.13	(-)25,318.45	(-)29,267.20	(-)26,206.12

नोट: सकारात्मक(+) डेबिट शेष एवं नकारात्मक(-) क्रेडिट शेष को दर्शाते हैं।

2021-22 के दौरान नकारात्मक प्रवृत्ति मुख्य रूप से लोक निर्माण जमा (₹ 57 करोड़ से), राजस्व जमा (₹ 115 करोड़ से), नगरपालिका निधि (₹ 879 करोड़ से) और राज्य विद्युत बोर्ड निधि (₹ 1,647 करोड़ से) के तहत जमा और अग्रिम में अधिक संवितरण का संकेत था, जिसे अन्य निधियों के तहत ₹ 1,213 करोड़ अधिक क्रेडिट से आंशिक प्रतिपूरित किया गया था। इसी प्रकार, उचंत एवं विविध में ऋणात्मक शेष, नकद शेष निवेश लेखा के अंतर्गत अधिक संवितरण (₹ 1,669 करोड़ से) के कारण थे।

2.5.2 ब्याज सहित रक्षित निधि

रक्षित निधि राज्य सरकार के लोक खाते के तहत विशिष्ट और परिभाषित उद्देश्यों के लिए बनाई गई है। ये निधियां राज्य के समेकित निधि से अंशदान या अनुदानों से बनाये जाते हैं। वर्ष 2021-22 के दौरान राज्य के दो ब्याज सहित आरक्षित निधि थी; (1) राज्य आपदा मोचन निधि (2) राज्य क्षतिपूरक वनीकरण निधि।

राज्य आपदा मोचन निधि

एस.डी.आर.एफ. दिशानिर्देश 2015 के कंडिका 7 के अनुसार, राज्य सरकार को भारत सरकार से प्राप्त हिस्से के साथ-साथ अपने हिस्से को एस.डी.आर.एफ. के लोक लेखा में प्राप्त के 15 दिनों के अन्दर हस्तांतरित करना आवश्यक होता है। किसी भी देरी के लिए राज्य सरकार को देरी के दिनों के हिसाब से ब्याज सहित राशि (आर.बी.आई की बैंक दर) जारी करने की आवश्यकता होती है।

2021-22 के दौरान यह देखा गया कि राज्य सरकार ने केंद्रीय हिस्से की प्राप्ति के बाद 161 दिनों (₹ 227.20 करोड़) और 87 दिनों (₹ 227.20 करोड़) के विलंब से अपने हिस्से के साथ भारत सरकार से प्राप्त योगदान को लोक लेखा में हस्तांतरित किया, जिसके लिए राज्य सरकार ₹ 9.26 करोड़ के ब्याज भुगतान करने के लिए उत्तरदायी थी, जिसका भुगतान नहीं किया गया।

एस.डी.आर.एफ दिशानिर्देश 2015 के कंडिका 19 और 20 के अनुसार, राज्य द्वारा निधि के तहत शेष का (अ) केन्द्र सरकार दिनांकित प्रतिभूतियाँ (ब) नीलामी की गई कोषागार विपत्रों और (स) अधिसूचित वाणिज्यिक बैंकों के साथ ब्याज वाले जमा और जमा के प्रमाण-पत्र में निवेश किया जाना था। झारखण्ड सरकार के वित्त विभाग ने सूचित किया (जुलाई 2019) कि वर्ष 2012-13 के दौरान ₹ 400 करोड़ अधिसूचित वाणिज्यिक बैंक में निवेश किया गया।

आगे, दिशानिर्देशों के अनुसार, सरकार को ओवर ड्राफ्ट पर देय ब्याज की दर (छः प्रतिशत) से गैर-निवेशित शेष राशि पर भुगतान करना था, जिसे उसी कोष में जोड़ा जाना था। हालांकि, झारखण्ड सरकार ने एस.डी.आर.एफ. को इसके गठन के समय से ही कोई ब्याज भुगतान नहीं किया था, जिससे 2011-22 की अवधि के दौरान लागू ब्याज दरों पर ब्याज ₹ 870.85 करोड़ हो गया था। इसमें से, केवल 2021-22 में अदत्त ब्याज ₹ 136.49 करोड़ था, जिसके परिणामस्वरूप वर्ष के लिए राजस्व अधिशेष की अत्योक्ति और राजकोषीय घाटे की न्यूनोक्ति हुई। परिणामस्वरूप, 31 मार्च 2022 तक निधि में ₹ 1,762 करोड़ का अनिवेशित शेष सिर्फ खाता प्रविष्टि थी, जो वास्तविक नकद शेष को नहीं दर्शाते हैं। इस तरह, निधि के संचालन के शुरुआत से अदत्त ब्याज राज्य के अलेखांकित देनदारियों को दर्शाता है।

तालिका 2.27: एस.डी.आर.एफ को भारत व्यय की विवरणी

(₹ करोड़ में)

लेखे के मुख्य शीर्ष	लेखे के लघु शीर्ष	2021-22 के दौरान व्यय
2245- प्राकृतिक आपदा पर राहत 02- बाढ़, चक्रवात आदि	101-निःशुल्क राहत	5.57
	113- घर के मरम्मती और पुनर्निर्माण	1.71
	114- किसानों को कृषि इनपुट के खरीदी के लिए सहायता	1.14
उप-योग		8.42
2245- प्राकृतिक आपदा पर राहत 05-राज्य आपदा मोचन निधि	101- रक्षित निधि एवं जमा निधि में स्थानांतरण-रा.आ.मो.नि.	605.60
	901- कटौती - राज्य आपदा मोचन निधि से मिली राशि	964.40
उप-योग		(-)358.80
2245-प्राकृतिक आपदा पर राहत 80- सामान्य	निदेशन एवं प्रशासन, आपदा तैयारी का प्रशिक्षण, प्राकृतिक आपदा प्रबंधन इत्यादि	350.39
उप-योग		350.39
कुल योग		0.01

उपरोक्त के अलावा केंद्र सरकार ने भी वर्ष के दौरान चक्रवाती तूफान 'यास' के लिए केंद्रीय सहायता के रूप में ₹ 200 करोड़ जारी किए और राज्य सरकार ने शीर्ष '2245-02-101-10-एन.डी.आर.एफ. से प्राप्त राहत सहायता (केन्द्र योजना 100 प्रतिशत)' के तहत बजट प्रावधान किया। निधि का उपयोग नहीं किया गया तथा विभाग द्वारा वर्ष के अंत में अभ्यर्पित कर दिया गया। चक्रवात के पूर्वानुमान में भारत सरकार द्वारा धनराशि प्रदान की गई जो घटित नहीं हुई। इस प्रकार राशि अनुपयोगी पड़ी रही जिससे राज्य के अधिशेष में ₹ 200 करोड़ की अत्योक्ति हुई।

राज्य क्षतिपूरक वनीकरण निधि

सी.ए.एफ. (लेखा पद्धति) नियम, 2018 के अनुसार उपयोग कर्ता एजेंसी से प्राप्त सभी धनराशि प्रथम दृष्टया मुख्य शीर्ष "8336- सिविल जमा" के अंतर्गत लघु-शीर्ष "103- राज्य क्षतिपूरक वनीकरण जमा" में जमा करने की आवश्यकता थी। तत्पश्चात, इसका 90 प्रतिशत मुख्य-शीर्ष "8121-सामान्य एवं अन्य रक्षित निधि" के अंतर्गत लघु-शीर्ष- "129-राज्य क्षतिपूरक वनीकरण जमा" में जमा करना था। शेष 10 प्रतिशत मासिक आधार पर राष्ट्रीय निधि के मुख्य शीर्ष "8336-सिविल जमा" के अंतर्गत लघु-शीर्ष "102-राष्ट्रीय क्षतिपूरक वनीकरण जमा-11-झारखण्ड" को अंतरित करना था।

इसके अतिरिक्त, अनौपचारिक प्राधिकारी से राज्य का 90 प्रतिशत हिस्सा प्राप्त होने पर (एक बार के लिए) इसे मुख्य-शीर्ष "8121- सामान्य और अन्य रक्षित निधि" के अंतर्गत लघु शीर्ष-"129- राज्य क्षतिपूरक वनीकरण जमा" में जमा करना था।

एस.सी.ए.एफ. का आरंभिक शेष ₹ 4,199.92 करोड़ था जो 2021-22 के दौरान, कोष में प्राप्त ₹ 220 करोड़ और वर्ष के दौरान कोष से व्यय ₹ 241.12 करोड़ के बाद 31 मार्च, 2022 को ₹ 4,178.80 करोड़ का अंतिम शेष रहा।

चूँकि एस.सी.ए.एफ. एक ब्याज सहित आरक्षित निधि है, इसलिए केंद्र सरकार द्वारा वर्ष दर वर्ष (वर्ष 2021-22 के लिए 3.35 प्रतिशत) के अनुसार, वर्ष के दौरान ₹ 241.12 करोड़ के व्यय को छोड़कर, ₹ 132.62 करोड़ के ब्याज का भुगतान प्रारंभिक शेष (₹ 4,199.92 करोड़) पर करना था। वर्ष 2020-21 का बकाया ब्याज ₹ 100.88 करोड़ सहित मार्च 2022 तक एस.सी.ए.एफ. पर कुल देय ब्याज ₹ 233.50 करोड़ था। इसके विरुद्ध सरकार ने 2021-22 के दौरान ₹ 220 करोड़ का भुगतान किया और बकाया ब्याज के रूप में ₹ 13.50 करोड़ शेष रह गया।

2.5.3 ब्याज रहित रक्षित निधि

समेकित हास निधि

बारहवें वित्त आयोग के सिफारिशों का अनुसरण करते हुए राज्य सरकार ने 2016-17 के दौरान बैंकों से ऋण, राष्ट्रीय लघु बचत निधि के लेखाओं के दायित्वों सहित सभी ऋणों के परिशोधन हेतु एक समेकित हास निधि बनाया था।

वर्ष 2021-22 के शुरुआत में झारखण्ड सरकार का ₹ 1,13,482.50 करोड़ का बकाया ऋण था। वर्ष के दौरान ₹ 200 करोड़ का एक बजट प्रावधान बनाया गया तथा हास निधि में अंतरण किया गया और प्रारंभिक शेष में ₹ 303.87 करोड़ जोड़ा गया जिससे मार्च 2022 के अंत में निधि में ₹ 503.87 करोड़ का अंत शेष रहा। 2021-22 के दौरान, ₹ 200 करोड़ इस निधि से वाणिज्यिक बैंक में निवेश किये गये।

निधि के दिशानिर्देशों के अनुसार, राज्य पिछले वर्ष के अंत में अपनी बकाया देनदारियों (आंतरिक ऋण + लोक लेखा) का न्यूनतम 0.50 प्रतिशत समेकित हास निधि में योगदान कर सकता था।

प्रत्याभूति मोचन निधि

भारत के संविधान में प्रावधान है कि कोई राज्य सरकार, भारतीय सीमा के भीतर, अपने समेकित निधि की सुरक्षा पर, ऐसी सीमाओं के भीतर, समय-समय पर अपनी विधायिका के अधिनियम द्वारा तय कर सकती है और जैसा तय किया गया हो ऐसी सीमाओं के भीतर गारंटी दे सकती है।

बारहवें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार, राज्य सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा जारी किए गए बॉन्ड और अन्य उधारों के संबंध में सरकार द्वारा जारी गारंटी से उत्पन्न भुगतान दायित्वों को पूरा करने के लिए राज्य सरकार को एक गारंटी मोचन निधि (जीआरएफ) का गठन करना चाहिए था। हालांकि, निधि का सृजन नहीं किया गया है।


झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे के अनुसार 31 मार्च 2022 तक राज्य द्वारा ₹ 607.15 करोड़ की गारन्टी दी गयी थी।

2.5.4 ऋण प्रबंधन

ऋण प्रबंधन राज्य के ऋण के वित्त पोषण हेतु आवश्यक निधि की उगाही, जोखिम तथा मुख्य उद्देश्यों को पूरा करने तथा अपने सम्प्रभु ऋण लक्ष्यों के प्रबंधन, जैसा कि सरकार द्वारा किसी स्थापित कानून या अन्य वार्षिक बजट घोषणाओं के द्वारा निर्धारित की गयी हो, हेतु रणनीति की स्थापना एवं क्रियान्वयन की प्रक्रिया है।

2017-18 से 2021-22 की अवधि में राज्य के कुल ऋण की स.रा.घ.उ. से प्रतिशतता चार्ट 2.12 में दिखाई गई है। 31 मार्च 2022 को राज्य के दायित्वों एवं सम्पत्तियों का सारांश परिशिष्ट 2.3 में दिया गया है।

चार्ट 2.12: सरकार के कुल ऋण और इसकी स.रा.घ.उ. से प्रतिशतता



नोट: यह ऋण 2020-21 में ₹ 1,689 करोड़ तथा 2021-22 में ₹ 2,484.41 करोड़ जिसे जी.एस.टी. क्षतिपूर्ति के कमी के जगह भारत सरकार द्वारा बैंक टू बैंक उधारी देने को शामिल नहीं करता है।

2.5.4.1 ऋण विवरण: अवयव

राज्य सरकार के कुल ऋण में आम तौर पर राज्य के आंतरिक ऋण (बाजार ऋण, आर.बी.आई. से अर्थोपाय अग्रिम, राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी किए गए विशेष प्रतिभूतियां और वित्तीय संस्थानों से ऋण आदि), केंद्र सरकार से ऋण तथा लोकलेखा दायित्व समाहित होता है।

2017-22 के दौरान लोक ऋण और लोक लेखा दायित्वों की प्राप्तियों और देयताओं के पश्चात् धन की उपलब्धता का विवरण तालिका 2.28 में दिया गया है।

तालिका 2.28: घटक वार ऋण प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
कुल बकाया ऋण(अ+ब)[#]	77,095.03	83,782.93	94,406.60	1,09,184.99	1,13,482.47
अ. लोकऋण	56,031.94	60,775.27	66,136.98	76,938.35	82,531.53
(i) आंतरिक ऋण	53,799.09	58,436.19	63,545.46	71,956.90	74,538.31
(ii) भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	2,232.85	2,339.08	2,591.52	4,981.45	7,993.22
ब. लोक लेखा का उत्तरदायित्व	21,063.09	23,007.66	28,269.62	32,246.24	30,950.94
स. गैर बजटीय उधार	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
बकाया उधार के वृद्धि की दर (प्रतिशत)	15.37	8.67	12.68	15.65	3.94
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.)	2,69,816	3,05,695	3,21,157	3,17,079	3,63,085
कुल ऋण/स.रा.घ.उ. (प्रतिशत)	28.57	27.41	29.40	33.90 [#]	30.57 [#]
कुल ऋण प्राप्ति	25,205.53	22,223.80	30,980.35	32,562.62	25,623.42
कुल ऋण पुनर्भुगतान	14,937.47	15,535.90	20,356.68	17,784.23	21,325.90
ब्याज भुगतान	4,661.68	4,851.97	5,307.71	5,790.00	6,286.05
उधार राशि की निवल उपलब्धता	5,606.38	1,835.93	5,315.96	8,988.39	-1,988.53
ऋण पुनर्भुगतान/ ऋण प्राप्तियाँ (प्रतिशत)	77.76	91.74	82.84	72.40	107.76

[#] यह ऋण 2020-21 में ₹ 1,689 करोड़ तथा 2021-22 में ₹ 2,484.41 करोड़ जिसे जी.एस.टी. क्षतिपूर्ति के कमी के जगह भारत सरकार द्वारा बैंक टू बैंक ऋण को शामिल करता है।

भारत सरकार के व्यय विभाग ने निर्णय लिया कि जी.एस.टी. क्षतिपूर्ति के लिए राज्य को ₹ 2,484.41 करोड़ का ऋण जो बैंक टू बैंक ऋण के रूप में प्रदान किया गया, उसे वित्त आयोग के द्वारा निर्धारित किसी मानदंड के लिए राज्य का ऋण नहीं माना जायेगा, इसके कारण राज्य का प्रभावी कुल बकाया ऋण ₹ 1,10,998.06 करोड़ हो जायेगा।


समग्र बिहार के राजकोषीय दायित्वों का बँटवारा उत्तरवर्ती बिहार एवं झारखण्ड राज्यों के बीच अब तक नहीं हुआ है।

उधार ली गई निधियों की निवल उपलब्धता ने 2017-18 से 2021-22 के दौरान ₹ 1,836 करोड़ और ₹ 8,988 करोड़ के बीच व्यापक दोलन दिखाया। हालाँकि, यह उल्लेखनीय रूप से 2020-21 में ₹ 8,988 करोड़ से 2021-22 में नकारात्मक रूप से घटकर ₹ 1,989 करोड़ हो गया जिसका मुख्य कारण सरकार द्वारा बाजार ऋण के रूप में कम उधार (₹ 4,400 करोड़ से) तथा वर्ष के दौरान बिना प्राप्ति के क्षतिपूर्ति तथा अन्य बॉन्ड और राष्ट्रीय अल्प बचत निधि (एन.एस.एफ.एफ) का पुनर्भुगतान था।


वर्ष 2020-21 के 5.11 प्रतिशत के वृद्धि के विरुद्ध वर्ष 2021-22 के दौरान, लोक ऋण और अन्य दायित्वों के तहत राज्य की प्राप्तियों में 21.31 प्रतिशत की कमी आई है। लोक ऋण और ब्याज सहित अन्य देनदारियों की पुनर्भुगतान में पिछले

वर्ष से (आठ प्रतिशत की कमी) 17.13 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जिसके परिणामस्वरूप राज्य को उधार ली गई निधियों की कम उपलब्धता हुई। 2021-22 के दौरान मौजूदा देन-दारियों के निर्वहन के लिए उधार ली गई धनराशि का बड़ा हिस्सा उपयोग किया गया था। 2021-22 के दौरान घटक-वार ऋण प्रवृत्ति चार्ट 2.13 में दिखाया गया है, जबकि, चार्ट 2.14 राज्य के कुल ऋण में लोक ऋण और लोक लेखे के अवयव का विभाजन दर्शाता है।

चार्ट 2.13: 2021-22 के अंत में कुल ऋण का ब्यौरा



चार्ट 2.14: आंतरिक ऋण प्राप्ति के सापेक्ष भुगतान



2017-22 की अवधि के दौरान राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण स्वरूप का विवरण तालिका 2.29 में दिया गया है।

तालिका 2.29 राजकोषीय घाटे के घटक और इसके वित्त पोषण स्वरूप

(₹ करोड़ में)

ब्यौरा	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	
राजकोषीय घाटा के अवयव						
1	राजस्व अधिशेष/राजस्व घाटा	1,804	5,521	1,960	-3,114	6,944
2	निवल पूँजीगत व्यय	-11,928	-10,712	-9,879	-8,466	9,377
3	निवल उधार व अग्रिम	-1,809	-1,438	-116	-3,331	171
राजकोषीय घाटा के वित्त पोषण का स्वरूप						
1	बाजार से उधार	4,807	4,023	5,656	8,900	3,746
2	भारत सरकार से ऋण	71	106	252	2,390	3,012
3	एनएसएसएफ द्वारा जारी विशेष प्रतिभूति	-746	-757	-769	-769	-770
4	वित्तीय संस्थानों से ऋण	1,054	1,371	222	281	-395
5	लघु बचत, भविष्य निधि आदि	66	69	6	-23	-193
6	जमा एवं अग्रिम	4,722	1,496	1,238	3,215	-722
7	उचंत व विविध	-224	127	97	53	-27
8	प्रेषण	93	60	-17	44	-14
9	रक्षित निधि	292	379	4,018	772	-380
10	कर्णांकित कोष में निवेश	0.00	0.00	0.00	304	200
11	कुल हानि	10,135	6,874	10,703	15,167	4,457
12	नकद शेष में वृद्धि (+)/कमी (-)	1,798	-245	-2,668	-256	-1,853
13	कुल राजकोषीय हानि	11,933	6,629	8,035	14,911	2,604

जैसा तालिका 2.29 से देखा जा सकता है कि राजस्व व्यय और पूँजीगत व्यय का एक बड़ा हिस्सा राज्य की राजस्व प्राप्तियों से पूरा किया गया था। इसलिए, राजकोषीय घाटा (₹ 2,604 करोड़) पूँजीगत व्यय तथा ऋण एवं अग्रिम पर उधार ली गई निधि के उपयोग के कारण हुई।

2021-22 के दौरान ₹ 2,604 करोड़ का राजकोषीय घाटा मुख्य रूप से बाजार ऋण (₹ 3,746 करोड़) द्वारा वित्तपोषित था।


2.6 ऋण परिपक्वता की रूपरेखा और पुनर्भुगतान

ऋण परिपक्वता और पुनर्भुगतान की रूपरेखा ऋण पुनर्भुगतान या ऋण की प्रतिपूर्ति के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को इंगित करता है।

तालिका 2.30: राज्य के ऋण पुनर्भुगतान की परिपक्वता की रूपरेखा

पुनर्भुगतान की अवधि (वर्ष)	राशि (₹ करोड़ में)	प्रतिशतता (लोक ऋण के सापेक्ष)
0 - 1	5,222.16	6
1 - 3	11,226.63	14
3 - 5	13,347.58	16
5 - 7	10,999.34	13
7 और अधिक	41,735.82	51
कुल	82,531.53	100

चार्ट 2.15: ऋण परिपक्वता रूपरेखा



जैसा कि तालिका 2.30 से स्पष्ट है कि यह लोक ऋण की परिपक्वता की रूपरेखा को दर्शाती है, झारखण्ड सरकार के लोक ऋण की परिपक्वता के कारण आने वाले वर्षों में मोचन दबाव लगभग ₹ 5,000 करोड़ और ₹ 6,000 करोड़ के बीच रहेगा। हालांकि, यह राज्य के नए उधार की परिपक्वता के मामले में परिवर्तित होगा।

आगे, राज्य के अगले 10 वर्षों के लिए ऋण अदायगी और ब्याज भुगतान का विश्लेषण ने वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा दिये गए विवरणी के आधार पर एक मिश्रित रूझान दिखाया जैसा कि तालिका 2.31 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.31: राज्य की अगले 10 वर्षों में ऋण अदायगी की रूपरेखा

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अदायगी	ब्याज	कुल
2021-22	4,245.34	5,805.62	10,050.96
2022-23	5,222.17	5,818.61	11,040.78
2023-24	4,613.33	5,638.97	10,252.30
2024-25	6,613.30	5,523.83	12,137.13
2025-26	6,890.56	5,254.51	12,145.07
2026-27	6,457.01	4,984.55	11,441.56
2027-28	4,270.66	4,772.13	9,042.79
2028-29	6,728.68	4,755.92	11,484.60
2029-30	3,651.94	4,539.98	8,191.92
2030-31	5,671.83	4,593.38	10,265.21

स्रोत: वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार

जैसा कि तालिका से स्पष्ट है, राज्य के लोक ऋण परिपक्वता मोचन दबाव वर्तमान ऋण देयता के अनुसार, 2022-31 के दौरान लगभग समान रहेगी। मौजूदा देनदारी के मुताबिक मूलधन और ब्याज की कुल अदायगी ₹ 8,191.92 करोड़ से ₹ 12,145.07 करोड़ के बीच होगी। राज्य की वर्तमान वित्तीय स्थिति के आलोक में मूलधन और ब्याज का भुगतान सहनीय होगा, जो आने वाले वर्षों में राज्य द्वारा लिए गए नये उधारों की परिपक्वता की स्थिति में बदल सकता है।

2.6.1 राजकोषीय घाटा और ऋण धारणीयता

राजकोषीय धारणीयता के संदर्भ में, तेरहवें वित्त आयोग ने ऋण-स.रा.घ.उ अनुपात के संदर्भ में तथा राजस्व प्राप्तियों के सापेक्ष ब्याज भुगतान के संदर्भ में ऋण धारणीयता को परिभाषित किया। वित्त आयोग (एफ.सी) ने केन्द्र और राज्य सरकारों के लिए राजकोषीय समेकन हेतु सिफारिश की और स.रा.घ.उ के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटे और ऋण स्टॉक हेतु सीमाएं प्रदान की हैं। झारखण्ड सरकार अपने एफ.आर.बी.एम अधिनियम, 2007 में अनुमानित स.रा.घ.उ के तीन प्रतिशत से अधिक राजकोषीय घाटा नहीं रखने का निर्णय लिया। एफ.आर.बी.एम अधिनियम के मद्देनजर एम.टी.एफ.पी विवरण में प्रत्येक वर्ष बजट के साथ प्रस्तुत स.रा.घ.उ से ऋण स्टॉक के प्रतिशत का लक्ष्य निर्धारित किया जाता है।

ऋण स्टॉक की स्थिति की तुलना में एफ.एफ.सी लक्ष्य और एफ.आर.बी.एम लक्ष्य तालिका 2.32 में दिए गए हैं।

तालिका 2.32: ऋण धारणीयता - एफ.आर.बी.एम सूचक आधारित विश्लेषण

वर्ष	स.रा.घ.उ. से राजकोषीय घाटा (प्रतिशत में)		स.रा.घ.उ. से कुल ऋण (प्रतिशत में)		राजस्व प्राप्तियों से ब्याज भुगतान (प्रतिशत में)	
	एफ.आर.बी.एम. अधिनियम के तहत तैयार एम.टी.एफ.पी लक्ष्य	वास्तविक	एफ.आर.बी.एम. अधिनियम के तहत तैयार एम.टी.एफ.पी लक्ष्य	वास्तविक	एफ.एफ.सी लक्ष्य	वास्तविक
2017-18	2.49	4.42	27.90	28.57	8.54	8.84
2018-19	2.61	2.17	27.20	27.41	8.32	8.64
2019-20	2.09	2.50	27.10	29.40	8.08	9.09
2020-21	5.00*	4.70	32.60	33.90 [#]	-	10.31
2021-22	4.00*	0.81	33.00	30.57 [#]	-	9.02

स्रोत : संबंधित वर्षों के वित्त लेखे, एम.टी.एफ.पी एवं एफ.सी. प्रतिवेदन

यह ऋण भारत सरकार द्वारा जी.एस.टी. क्षतिपूर्ति के कमी के जगह बैंक टू बैंक ऋण ₹ 1,689 करोड़ (2020-21) तथा ₹ 2,484.41 करोड़ (2021-22) को शामिल नहीं करता।

* राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (संशोधन) अधिनियम, 2020 के कंडिका 2(1) के आलोक में राजकोषीय घाटा लक्ष्य 2020-21 के लिए 2 प्रतिशत तथा 2021-22 में एक प्रतिशत से बढ़ गया था।

तालिका 2.32 से स्पष्ट है, राज्य सरकार 2021-22 के दौरान लक्ष्य के अन्दर राजकोषीय घाटे को बनाये रखने में सक्षम रही। 2017-18 से 2020-21 की अवधि के दौरान ऋण से स.रा.घ.उ. अनुपात अपने लक्ष्य से अधिक था। पन्द्रहवें वित्त आयोग द्वारा राजस्व प्राप्तियों (ब्याज भुगतान का भार) से ब्याज भुगतान के अनुपात के लिए मानक अनुमान प्रदान नहीं किया गया था। हालांकि, एफ.एफ.सी द्वारा यह निर्देशित किया गया था कि ब्याज भुगतान की वृद्धि दर पिछले वर्षों की तुलना में 2020-26 की अवधि के दौरान नौ प्रतिशत रखी जानी चाहिए जो, 2020-21 को छोड़कर जब यह 10.31 प्रतिशत था, राज्य द्वारा

हासिल की गई थी। वर्ष 2021-22 के दौरान, राज्य में राजस्व प्रप्ति से ब्याज भुगतान की प्रतिशतता 9.02 प्रतिशत रही।

2.6.2 उधार निधि की उपयोगिता

आदर्श रूप से उधार ली गई निधि का उपयोग पूंजी निर्माण और विकास गतिविधियों के लिए किया जाना चाहिए। वर्तमान खपत को पूरा करने और बकाया ऋणों पर ब्याज की अदायगी के लिए उधार ली गई निधि का उपयोग धारणीय नहीं है। उधार निधि की उपयोगिता तालिका 2.33 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.33: उधार निधियों की उपयोगिता

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	वर्ष	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
1	कुल उधार	8,136.85	7,803.43	9,593.12	13,546.58	9,839.87
2	पूर्व उधार का पुनर्भुगतान (मूलधन)	2,949.50	3,060.10	4,231.40	2,744.82	4,247.08
3	निवल पूंजीगत व्यय	11,927.62	10,711.71	9,878.71	8,465.66	9,376.90
4	निवल ऋण व अग्रिम	1,809.00	1,438.43	116.24	3,330.99	17.25
5	निवल उपलब्ध उधार से पूरित राजस्व व्यय का अंश (1-2-3-4)	-8,549.27	-7,406.81	-4,633.23	-994.89	-3,801.36

स्रोत: वित्त लेखे

2021-22 के दौरान राज्य को पूर्व के उधारों के लिए ₹ 4,247.08 करोड़ का पुनर्भुगतान करना था, जो वर्ष के दौरान हुए राजस्व अधिशेष से पूरा कर लिया गया जिससे राज्य द्वारा पूंजीगत व्यय और ऋण तथा अग्रिमों के लिए उधार ली गई धन की अधिक उपलब्धता रही। लोक ऋण द्वारा पूरा नहीं किए गए पूंजीगत व्यय का हिस्सा लोक लेखा शेष से पूरा किया गया था।

कुल उधार ली गई निधि में से 95.29 प्रतिशत का उपयोग पूंजीगत व्यय पर (₹ 9,377 करोड़) उपयोग किया गया था तथा शेष ऋण और अग्रिम के भुगतान पर उपयोग किया गया था।

2.6.3 प्रत्याभूतियों की स्थिति (आकस्मिक देयताएं)

भारत का संविधान यह बताता है कि कोई राज्य भारत के क्षेत्र के भीतर, अपने समेकित निधि की सुरक्षा पर, ऐसी सीमाओं के भीतर, जैसा कि समय-समय पर निर्धारित किया गया, अपने विधायिका के अधिनियम द्वारा तय किया जाए और ऐसी सीमाओं के भीतर प्रत्याभूति दे, जैसा कि तय हो, उधार ले सकता है। प्रत्याभूति देनदारियाँ हैं जो लेनदार द्वारा चूक की स्थिति में जिसके लिए प्रत्याभूति दी गई है राज्य की समेकित निधि पर निर्भर करती है।

झारखण्ड सरकार ने इस संबंध में न तो प्रत्याभूति मोचन निधि बनाई है और न ही कोई नीति बनाई है। हालांकि, सरकार ने झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के पक्ष में दिसम्बर 2018 में ₹ 450 करोड़ राशि का लेटर ऑफ कम्फर्ट

(एल.ओ.सी.) दिया था। आगे, फरवरी 2013 में जे.एस.ई.बी. के पक्ष में दिया गया ₹ 157.15 करोड़ का एल.ओ.सी. जनवरी 2014 में जे.एस.ई.बी. के विखंडित होने के बाद भी सरकार के लेखाओं में समाशोधन हेतु लंबित था।

तालिका 2.34: राज्य सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियां

(₹ करोड़ में)

प्रत्याभूति	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
ब्याज सहित प्रत्याभूति की लंबित राशि	157.15	607.15	607.15	607.15	607.15

स्रोत: वित्त लेखे

2.7 नकद शेष का प्रबंधन

भारतीय रिजर्व बैंक के अनुबंध के अनुसार, राज्य सरकार को बैंक के साथ न्यूनतम दैनिक नकद शेष रखना है। यदि किसी दिन शेष राशि न्यूनतम से कम हो जाती है, तो समय-समय पर अर्थोपाय अग्रिम (डब्लू.एम.ए.)/ विशेष अर्थोपाय अग्रिम (एस.डब्लू.एम.ए.)/ ओवर ड्राफ्ट (ओ.डी) के द्वारा कमी को पूरा किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर राज्य सरकार को देय साधारण डब्लू.एम.ए की सीमा को संशोधित किया गया (17 अप्रैल 2020 से लागू ₹ 1,152 करोड़, जो बाद में घटकर 31 मार्च 2022 से लागू ₹ 1,067 करोड़ हो गया)।

राज्य ने 2021-22 के दौरान छः दिनों के लिये सामान्य अर्थोपाय अग्रिम तथा 10 दिनों के लिए विशेष अर्थोपाय अग्रिम का लाभ उठाया, जिसके लिए सरकार को ₹ 0.46 करोड़ का ब्याज देना पड़ा। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2021-22 में कोई ओवरड्राफ्ट नहीं लिया गया।

राज्य सरकार भारत की अल्पकालीन और दीर्घकालीन सरकारी प्रतिभूतियों और ट्रेजरी विपत्रों में अपने नकद अधिशेष का निवेश करती है। इस तरह के निवेश से प्राप्त लाभ को शीर्ष '0049-ब्याज प्राप्ति' के तहत प्राप्तियों के रूप में जमा किया जाता है।

तालिका 2.35 2020-21 और 2021-22 के दौरान सामान्य नकद शेष और इसमें निवेश का तुलनात्मक विवरण दिखाता है और **तालिका 2.36**, 2017-18 से 2021-22 की अवधि के दौरान नकद शेष निवेश लेखा (मुख्य शीर्ष-8673) की स्थिति को दिखाता है।

तालिका 2.35: नकद शेष और इसका निवेश

(₹ करोड़ में)

	1 अप्रैल 2021 को प्रारंभिक शेष	31 मार्च 2022 को अन्त शेष
अ. सामान्य नकद शेष		
कोषागार में नकद	0	0
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जमा	160.55	149.37
अन्य बैंक में जमा	0	0
प्रेषण-स्थानीय	0	0
उप-योग	160.55	149.37
नकद शेष निवेश लेखा में रखे गए निवेश	2,811.20	4,480.63
कुल (अ)	2,971.75	4,630.00
ब. अन्य रोकड़ शेष एवं निवेश		
विभागीय अधिकारियों के पास रोकड़ यथा लोक निर्माण विभागीय अधिकारी, वन विभागीय अधिकारी	44.54	38.67
आकस्मिक व्यय हेतु विभागीय अधिकारियों को स्थायी अग्रिम	0.16	0.16
कर्णांकित निधि में निवेश	703.87	903.87
कुल (ब)	748.57	942.70
कुल (अ + ब)	3,720.32	5,572.70
ब्याज प्राप्ति	58.59	58.63

स्रोत : वित्त लेखे

31 मार्च 2022 तक नकद शेष निवेश लेखा में शेष राशि ₹ 4,480.63 करोड़ थी और 2021-22 के दौरान निवेश पर प्राप्त ब्याज ₹ 58.63 करोड़ था।

2021-22 के दौरान पिछले वर्ष की तुलना में राज्य का नकद शेष निवेश में वृद्धि हुई।

वर्ष 2012-13 के दौरान राज्य ने एस.डी.आर.एफ. के कर्णांकित निधियों से ₹ 400 करोड़ का निवेश किया था। जैसा कि एस.डी.आर.एफ. दिशानिर्देश में निर्धारित है ₹ 1,761.68 करोड़ के शेष को निवेशित नहीं किया गया था। 31 मार्च 2022 को हस्तांतरित ₹ 503.87 करोड़ में से हास निधि में से ₹ 200 करोड़ का निवेश वर्ष 2020-21 के दौरान राज्य के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक में किया।

तालिका 2.36: नकद शेष निवेश लेखा (मुख्य शीर्ष-8673)

(₹ करोड़ में)


वर्ष	प्रारंभिक शेष	अंतिम शेष	वृद्धि (+)/ कमी (-)	अर्जित ब्याज
2017-18	1,439.09	354.56	-1,084.53	78.56
2018-19	354.56	167.90	-186.66	31.43
2019-20	167.90	3,070.62	2,902.72	147.42
2020-21	3,070.62	2,811.20	-259.42	58.59
2021-22	2,811.20	4,480.63	1,669.43	60.21

लेखों में परिलक्षित आंकड़े {₹ 149.37 करोड़ (डेबिट)} तथा आर.बी.आई. द्वारा सूचित किये गए आंकड़ों {₹ 13.05 करोड़ (डेबिट)} के बीच ₹ 162.42 करोड़

(निवल डेबिट) का अंतर था। इस अंतर के समाशोधन एवं आवश्यक सुधार के लिए प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड द्वारा आर.बी.आई, राँची के साथ प्रयास किये जा रहे हैं।

चार्ट 2.16 पिछले पाँच वर्षों के दौरान बाजार ऋणों (निवल) और नकद शेष के तुलनात्मक रुझान को दर्शाता है।

चार्ट 2.16: बाजार ऋण (निवल) एवं नकदी शेष की प्रवृत्ति



यह वांछनीय नहीं है कि राज्य सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर नकदी शेष होने के बावजूद बाजार ऋणों का सहारा लिया जाए तथा इसके उत्पादक इस्तेमाल के बिना सिर्फ नकद शेष को बढ़ाने हेतु बाजार ऋण लेना अपेक्षित नहीं है।

वर्ष 2021-22 के दौरान, राज्य सरकार ने ₹ 3,745.95 करोड़ की बाजार से ऋण की उगाही की, जबकि उसी समय, नकद शेष ₹ 3,720 करोड़ से बढ़कर वर्ष के अंत में ₹ 5,572.70 करोड़ रहा।

2.8 निष्कर्ष

सरकार के राजकोषीय प्रदर्शन को आँकने के लिए घाटे का संकेतक, राजस्व वृद्धि और व्यय प्रबंधन प्रमुख मापदण्ड हैं।

राज्य ने एफ.आर.बी.एम. अधिनियम में दी गई समय-सीमा से काफी पहले अपने राजस्व घाटे को शून्य तक कम करने का लक्ष्य हासिल कर लिया है। 2020-21 को छोड़कर राज्य में पिछले पाँच वर्षों में राजस्व अधिशेष था। 2018-19, 2020-21 तथा 2021-22 के दौरान राज्य का राजकोषीय घाटा लक्ष्य के अन्दर था, वहीं 2017-18 तथा 2019-20 के दौरान लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ।

2021-22 के दौरान राज्य का राजस्व व्यय कुल व्यय का 85.28 प्रतिशत था, जिसका 44.41 प्रतिशत वेतन और मजदूरी, ब्याज भुगतान और पेंशन पर व्यय किया गया था। 2021-22 में वेतन और मजदूरी, ब्याज भुगतान और पेंशन पर राजस्व प्राप्तियों का 39.99 प्रतिशत व्यय किया गया। 2020-21 के दौरान

पूँजीगत व्यय ₹ 8,466 करोड़ के विरुद्ध 2021-22 के दौरान ₹ 9,377 करोड़ था। पूँजीगत व्यय में वृद्धि पिछले वर्ष की तुलना में सामाजिक सेवाओं पर सात प्रतिशत और आर्थिक सेवाओं पर 14 प्रतिशत अधिक व्यय के कारण हुई।

राज्य के कुल व्यय में, सामाजिक सेवाओं और आर्थिक सेवाओं पर व्यय का हिस्सा 2020-21 और 2021-22 में लगभग समान रहा। आर्थिक सेवाओं पर व्यय 2017-18 में 40 प्रतिशत से लगातार घटकर 2021-22 में 34 प्रतिशत हो गया, जो इस क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा दी गई कम प्राथमिकता का संकेत था।

उधार ली गई कुल निधि ₹ 9,839.87 करोड़ में से 95.29 प्रतिशत का उपयोग पूँजीगत व्यय (₹ 9,378 करोड़) पर किया गया था और शेष ऋण और अग्रिम के भुगतान पर किया गया था। राज्य को 2021-22 के दौरान पहले के उधारों के लिए ₹ 4,247.08 करोड़ का पुनर्भुगतान करना था, जो वर्ष के दौरान राजस्व प्राप्तियों से पूरा किया गया था।

31 मार्च 2022 को समाप्त राज्य के वित्त लेखे के अनुसार, सरकार ने नवम्बर 2000 में राज्य के गठन के बाद से ₹ 2,250.22 करोड़ का निवेश (सरकारी कम्पनी, ग्रामीण बैंक तथा सहकारी संस्थाओं) में किया था। इनके निवेश पर कोई प्रतिफल नहीं होने के बावजूद, राज्य सरकार ने 2021-22 के दौरान इक्विटी के रूप में चार¹⁰ राज्य पी.एस.यू. और दो सहकारिताओं (आदिवासी सहकारी विकास) में ₹ 1,138.57 करोड़ का निवेश किया।

निवेश के अलावा, सरकार द्वारा अपने संस्थाओं को दिए गए ऋण के रूप में एक बड़ी राशि (₹ 24,348 करोड़) मार्च 2022 के अंत तक बकाया थी।

कुल राजकोषीय देनदारियाँ (कुल ऋण) 2020-21 में ₹ 1,07,496 करोड़ से बढ़कर 2021-22 में ₹ 1,10,998 करोड़ हो गई। एम.टी.एफ.पी के लक्ष्य 33 प्रतिशत के विरुद्ध राजकोषीय दायित्व का स.रा.घ.उ. से अनुपात 30.57 प्रतिशत¹¹ था। समग्र बिहार राज्य की राजकोषीय दायित्वों का विभाजन अब तक उत्तराधिकारी राज्यों बिहार और झारखण्ड के बीच नहीं किया गया है।

सरकार ने राज्य आपदा मोचन निधि (एस.डी.आर.एफ) के गठन के पश्चात से कोई ब्याज नहीं दिया, जो 2011-12 से 2021-22 की अवधि के लिए लागू दर पर ₹ 870.85 करोड़ होता है। ब्याज का भुगतान न करने से राज्य के राजस्व घाटे और राजकोषीय घाटे पर प्रभाव पड़ा। आगे, सरकार ने वर्ष के दौरान हास निधि में ₹ 200 करोड़ का अंतरण किया।

¹⁰ झारखंड अन्वेषण एवं खनन कॉर्पोरेशन लिमिटेड: ₹ 1,000 करोड़; झारखंड औद्योगिक अवसंरचना विकास निगम: ₹ 2 करोड़; झारखंड सेंट्रल रेलवे परियोजना: ₹ 20 करोड़; और झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड: ₹ 87.52 करोड़।

¹¹ यह ऋण भारत सरकार द्वारा जी.एस.टी. क्षतिपूर्ति के कमी के जगह बैंक टू बैंक ऋण ₹ 1,689 करोड़ (2020-21) तथा ₹ 2,484.41 करोड़ (2021-22) को शामिल नहीं करता।

2.9 अनुशंसाएँ

- राज्य सरकार को अपने निवेश और विभिन्न संस्थाओं को दिए गए ऋणों को युक्तिसंगत बनाना चाहिए ताकि निवेश और ऋण पर प्रतिफल कम से कम सरकारी उधार लागत के बराबर हो सके। अन्यथा, निवेश में रिटर्न की नगण्य दर के साथ बढ़ती राजकोषीय देनदारियाँ अवहनीय ऋण की स्थिति को जन्म दे सकती हैं।
- राज्य को एफ.आर.बी.एम. अधिनियम और एम.टी.एफ.पी. विवरणियों में निर्धारित लक्ष्यों के संबंध में अपने वित्तीय प्रदर्शन को बनाए रखने के लिए ठोस प्रयास करने होंगे।